बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट

2023-24

वित्त विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

जेन्डर बजट

2023-24

वित्त विभाग
बिहार सरकार

प्राक्कथन

राष्ट्र एवं राज्य के समावेशी, समतामूलक तथा सतत विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला रही हैं। मानव विकास का लक्ष्य महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में महिलाओं की संख्या 48.0 प्रतिशत से अधिक है जो कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। महिलाएं न केवल देश के मूल्यवान मानव संसाधन का गठन करती हैं, बल्कि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में उनका विकास अर्थव्यवस्था के सतत विकास की गति भी निर्धारित करता है। हालांकि, स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी, बड़ी संख्या में महिलाओं को राष्ट्र की संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए, लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में संरक्षित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को सकारात्मक उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है।

महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजट एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है। इसका क्रियान्वयन कार्यक्रमों और योजनाओं पर बजटीय संसाधनों के माध्यम से होता है। विभिन्न जेंडर संकेतक यथा– स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारिता, सुरक्षा, भागीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में जेंडर गैप को खत्म करने या कम करने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। जेंडर बजटिंग अभ्यास विभिन्न क्षेत्रों में लिंग संबंधी सरोकारों और गैप को दूर करने में सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप को दर्शाता है। यह अपनी राजकोषीय नीति के ढ़ांचे के भीतर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु सरकार की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करता है।

बिहार सरकार सभी क्षेत्रों में और शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका तात्पर्य यह है कि वैसे कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को बढ़ावा देना है, जिनका उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में जेंडर बजटिंग राज्य का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जेंडर बजट एक ऐसा उपकरण है, जिसमें महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के कार्यक्रमों और योजनाओं को सीधे तौर पर बढ़ावा देने की क्षमता है।

अपनी योजना और बजट प्रक्रिया में जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए बिहार सरकार 2008–09 से ही जेंडर बजट तैयार कर रही है। जेंडर बजटिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य सभी विभागों को जेंडर के संदर्भ में अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और जेंडर के नजरिये से उनकी योजनाओं और बजट की समीक्षा करना है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक के लिए आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत सात लक्ष्य निर्धारित किए गए है जिसमें एक लक्ष्य **'सशक्त महिला–सक्षम महिला'** है। यह राज्य सरकार की महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुझे आशा है कि यह जेंडर बजट दस्तावेज, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों, शोधार्थियों एवं आम जनों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही मैं आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्षों में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों से इस दस्तावेज को और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा।

* * *

जेंडर बजटिंग एक परिचय

जेंडर बजट महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। जेंडर बजटिंग केवल एक लेखांकन कार्य नहीं है, बल्कि इसे कार्यरूप में बदलने का एक साधन है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि महिला एवं पुरुष दोनो को विकास का समान लाभ प्राप्त हो। जेंडर बजट सामान्य बजट से कोई भिन्न बजट नहीं है। यह समाज में स्त्री–पुरुषों के बीच की खाई को कम करने का एक साधन है। इसलिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राशि का इस प्रकार समुचित आवंटन किया जाए ताकि स्त्री–पुरुष के बीच समानता स्थापित की जा सके।

जेंडर बजटिंग का लक्ष्य :

- महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार के विभिन्न नीतियों का विश्लेषण शामिल करना एवं कार्यरूप में लाना,
- लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना,
- सुचारु एवं सकारात्मक बजटीय प्रबंधन द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाना,
- राजकोषीय योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना,
- मुख्य बजट के जेंडर आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तीकरण,
- बजट प्रक्रिया में जेंडर उत्तरदायी भागीदारी को बढ़ाना,
- लैंगिक वचनबद्धता को बजटीय वचनबद्धता में परिवर्तित करना एवं
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण इत्यादि विभागों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार के बजट का अंश निर्धारित करना।

जेंडर बजट की पृष्ठभूमि :

जेंडर बजट की अवधारणा महिलाओं से संबंधित मुद्दों और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल से विकसित हुआ है। महिला घटक योजना (Woman Component Plan) IX) (योजना अवधि 1997–2002) भारत सरकार द्वारा इस ओर लिया गया पहला बड़ा कदम था। इस योजना में सुनिश्चित किया गया कि विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हो। वर्ष 2003 में, एक अध्ययन के अंतर्गत जेंडर लेंस के माध्यम से केंद्रीय बजट का विश्लेषण किया गया, जिसमें लिंग–उन्मुख नीतियों को परखा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2002, 2003, 2004 में, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में महिलाओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। केंद्रीय बजट में जेंडर बजट विवरणी (Statement) पहली बार वर्ष 2005–06 में पेश किया गया था। इसी प्रकार, बिहार में राज्य बजट के साथ पहली बार जेंडर बजट दस्तावेज 2008–09 में पेश किया गया।

जेंडर बजटिंग का विकास :

भारत में मानव विकास की उपलब्धियाँ महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में

सर्वप्रथम महिला से संबंधित घटकों को पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत है :

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	महिलाओं के विकास को निराश्रित, विकलांग, वृद्ध आदि जैसे वंचित समूहों के कल्याण के साथ जोड़ा गया।
द्वितीय से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1956–79)	कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया। महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के अलावा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के लिए पूरक आहार।
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	महिलाओं के 'कल्याण' से 'विकास' के दृष्टिकोण में बदलाव। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर देने के साथ बहु–अनुशासनात्मक दृष्टिकोण।
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से उचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल और अकुशल दोनों तरह के रोजगार पैदा करने पर जोर दिया गया था।
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	महिलाओं के विकास पर जोर।
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	'महिला सशक्तीकरण' का प्रयास किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला विशिष्ट और महिला–संबंधी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध 'मौजूदा सेवाओं का कन्वर्जेंस' भी था।
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेंडा के रूप में 'महिलाओं को सशक्त बनाने' की रणनीति के साथ जारी।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	लैंगिक समता, जेंडर बजट और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त वातावरण के निर्माण पर जोर।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	शासन में महिलाओं की भागीदारी और सभी श्रेणियों की कमजोर महिलाओं को शामिल करने पर जोर।

जेंडर बजट का उद्देश्य :

जेंडर बजट का लक्ष्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना है। जेंडर बजटिंग के तहत राज्य सरकार ने लिंग समानता को नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिकता दी है। मुख्य सरकारी बजट से लिंग आधारित कार्यक्रमों का विभक्तीकरण तथा लैंगिक वचनबद्धता को बजट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही जेंडर बजट कहते हैं। अतः जेंडर बजट महिलाओं पर की जा रही विशिष्ट वित्तीय आवंटन को दर्शाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं पर व्यय को

शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम आदि तक सीमित न करते हुए अन्य विभागों एवं क्षेत्रों में भी महिलाओं से संबंधित विषयों पर आवंटन को भी इस जेंडर बजट में शामिल किया गया है।

जेंडर पर बल क्यों?

- ❖ महिलाएं संख्या के लिहाज से देश की कुल जनसंख्या की आधी हैं।
- ❖ राज्य के संसाधन एवं सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- ❖ महिलाओं की विशिष्ट जरूरतें हैं, जिन्हें विशेष रूप से पूरा किए जाने की आवश्यकता है।
- ❖ अधिकांश सार्वजनिक व्यय और नीतिगत सरोकार स्त्री–पुरुष निरपेक्ष क्षेत्र में होते हैं।

बिहार में महिलाओं के विकास के संकेतक :

तालिका–1

बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक

क्र.	संकेतक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	कुल आबादी (करोड़) (2011)	5.40	5.00	62.30	58.70	जनगणना 2011
2	लिंग अनुपात–सभी आयुवर्ग (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0–6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.50	19.10	53.30	25.50	
5	साक्षरता दर (2011)	71.20	51.50	80.90	64.60	
6	साक्षरता दर (7–18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

उपर्युक्त तालिका महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। बाल लिंग अनुपात में, भारत (919) की तुलना में बिहार का बाल लिंग अनुपात (935) ज्यादा है। परन्तु अन्य कई मामलों में जैसे लिंग अनुपात (सभी आयु–वर्ग) (918), कार्य सहभागिता दर (19.1) में उनकी स्थिति आज भी संवेदनशील है। राज्य स्तर पर इसके सुधार हेतु कई पहल किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है।

तालिका–2

बिहार में महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक संकेतक :

क्र. सं.	सूचक	2019–20	2015–16	वृद्धि/कमी	स्रोत
	शैक्षणिक सूचक				
1	साक्षर (%)	57.8	49.6	8.2	NFHS
2	10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
	स्वास्थ्य सूचक				
3	संस्थागत जन्म (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	सामान्य से नीचे बॉडी मास इंडेक्स (15–49 वर्ष)	25.6	30.4	–4.8	NFHS
5	15–49 वर्ष आयु के सभी लोग जो एनीमिक हैं	63.5	60.3	3.2	NFHS
	सशक्तीकरण सूचक				
6	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
8	महिलाओं के पास मोबाइल फोन जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

उपरोक्त सूचक बताते हैं कि इन दो अवधियों, 2015–16 और 2019–20 के बीच, बिहार में महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सशक्तिकरण के संकेतक, महिलायें जिनका अपना बचत खाता है, में 50.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। अतः बिहार में महिलाओं के सर्वांगिण विकास के उद्देश्य से प्रारंभ हुए जेंडर बजटिंग का प्रतिफल अब दृष्टिगोचर होने लगा है।

बिहार में जेंडर बजटिंग

बिहार सरकार ने हमेशा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया है। राज्य की नीतियां, बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति का स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार हमेशा लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। राज्य में जेंडर बजटिंग प्रक्रिया इसी दिशा में एक कदम है। बिहार में वर्ष 2008–09 से जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जेंडर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। जेंडर बजटिंग का तात्पर्य जेंडर लेंस से बजटीय नीतियों और बजट का आवंटन–व्यय देखने की एक विधि से है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन को समुचित रूप से समाहित करना है। अतः जेंडर बजट दस्तावेज (2023–24) संबंधित विभागों को भविष्य में महिला संबंधी नीतियों को बनाने में मदद करेगी।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला–पुरुष समानता

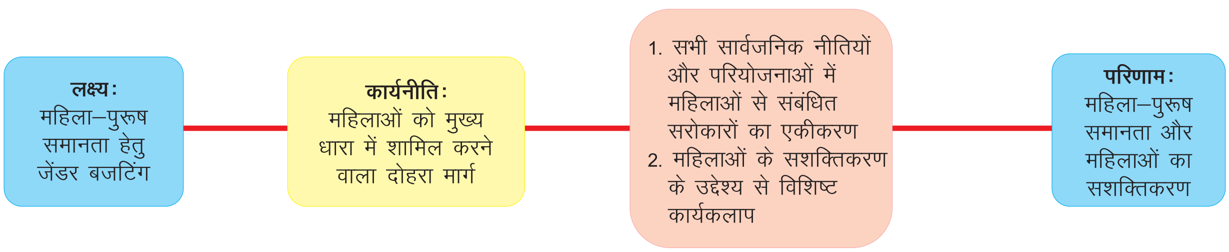

बिहार में जेंडर बजट की प्रगति

2008	प्रथम जेंडर बजट विवरण विकसित किया गया और राज्य के बजट के साथ विधान सभा में पेश किया गया।
2015	राज्य महिला सशक्तीकरण नीति में जीआरबी को एक उद्देश्य के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर जीआरबी को संस्थागत करने पर प्रकाश डाला गया है।
2016	राज्य में महिला विकास निगम के तहत 'जेंडर रिसोर्स सेंटर' स्थापित।
2017	राज्य के एसडीजी विजन दस्तावेज में 'योजनाओं में जेंडर बजटिंग का प्रावधान करने और प्रेक्षण और मूल्यांकन में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने' का उल्लेख है।
2010–11 से अब तक	आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में जीआरबी का एक सिंहावलोकन और सारांश प्रदान करता है और महिला सशक्तीकरण पर एक प्रमुख खंड प्रदान करता है।

जेंडर बजट का वर्गीकरण :

श्रेणी–ए	100% व्यय महिलाओं पर	योजनाएं एवं कार्यक्रम जिनका पूर्ण आवंटन एवं व्यय महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण पर होता है।
श्रेणी–बी	30% और उससे अधिक परन्तु 100 % से कम व्यय महिलाओं पर	इन में वे योजनाएं होती हैं जिनमें कुछ घटक महिलाओं एवं लड़कियों की होती हैं जो कि 30–99% के बीच होती है।

जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया गया है :

- **वास्तविक व्यय :** विभागों द्वारा महिलाओं पर वर्ष 2021–22 में किया जाने वाला वास्तविक व्यय।
- **पुनरीक्षित व्यय :** मध्य वर्ष की समीक्षा के बाद वर्ष 2022–23 के लिए बाकी सेवाओं पर व्यय का आंकलन।
- **बजट प्राक्कलन :** पूर्व बजट प्रस्तुति के संभावित व्यय एवं प्राप्तियों का रुझान के आधार पर वर्ष 2023–24 के लिए पुर्वानुमान।

महिलाओं को लक्षित विशिष्ट योजनाएं : वैसी योजनाएं, जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए है।

महिला–समर्थित योजनाएं : इसमें विभिन्न विभागों द्वारा लागू की गई वैसी योजनाएं हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं या लड़कियों को लाभान्वित करती हैं। इसमें वैसी योजनाएं होती है, जिनमें कम–से–कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं पर किया जाता है। योजना के उद्देश्य, आउटपुट–सह–परिणाम के आधार पर महिलाओं या लड़कियों को लाभ के मूल्यांकन का मापक एवं विश्लेषण जेंडर बजटिंग है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में जेंडर समानता को और सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों का ब्योरा प्रस्तुत है। हर साल महिलाओं पर किए गए व्यय में लगातार वृद्धि सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय आवंटन के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

जेंडर बजट में योजनाओं का प्रकार

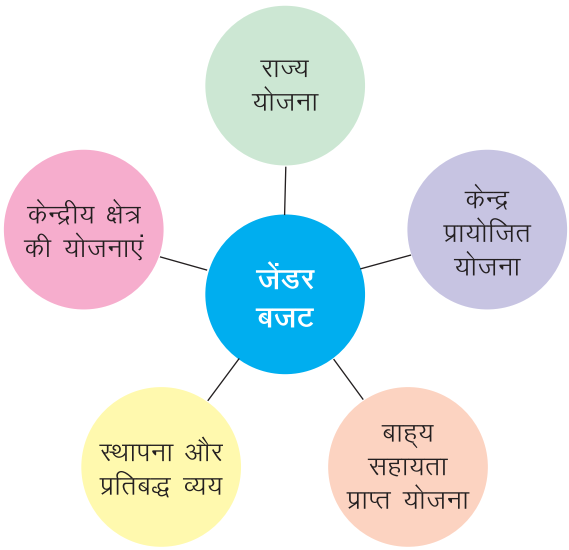

जेंडर बजट : महिलाओं के लिए व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (वास्तविक)	2021–22 (वास्तविक)	2022–23 (अनुमान)	2023–24 (अनुमान)
महिलाओं के लिए व्यय	13952	21943	23039	22418	33696	36657	37949
राज्य बजट का कुल आकार	136427	154655	146097	165696	193123	237691	261885
बिहार के कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा	10.23	14.19	15.77	13.53	17.44	15.42	14.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	468746	530363	617153	618628	675448	745310	858928
जी.एस.डी.पी. में महिलाओं का हिस्सा (प्रतिशत)	2.97	4.13	3.73	3.62	4.98	4.92	4.41

बिहार के कुल बजट में महिलाओं पर व्यय

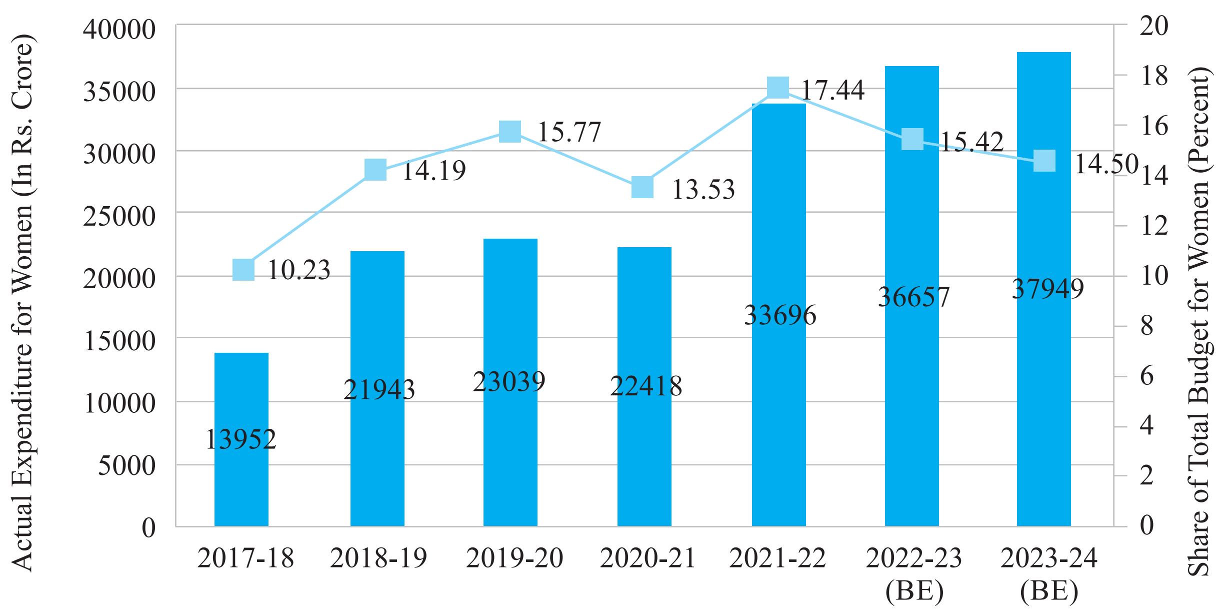

महिला विकास के प्रयास

महिला सशक्तीकरण तभी संभव है, जब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसरों के साथ उनमें सामाजिक परिवर्तन की दिशा को भी प्रभावित करने की क्षमता हो। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 के तहत 'लक्ष्य–5' में गरीबी, असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी चुनौतियों एवं उनका समाधान वैश्विक सफलता का एक प्रमुख लक्ष्य है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक सामाजिक–राजनीतिक बुनियाद है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को घर के भीतर और बाहर निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ उनकी पूरी क्षमता, अवसरों, संसाधनों और विकल्पों तक पहुंच के उनके अधिकारों का एहसास कराती है। हाल के वर्षो में राज्य सरकार द्वारा लिए गए अनेक नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय सुधारों के फलस्वरूप बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव हो सका है। राज्य में समता मूलक, सतत विकास की प्रक्रिया तथा समाज की मुख्य धारा में महिलाओं को जोड़ने तथा उनके विरुद्ध हो रहे भेदभावों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई प्रयास किए हैं :

- राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें राजनीतिक योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है।

- राज्य महिलाओं के निरंतर सशक्तीकरण एवं बहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में कई पहल किए गए हैं। राज्य में महिलाओं के विकास हेतु कई योजनाएं, जैसे– मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इत्यादि बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रहीं है। वहीं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, हर घर बिजली योजना, राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही महिला हेल्पलाईन योजना, अल्पवास गृह, वनस्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ सरकार के अन्य प्रयास हैं।

इस संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों एवं उपलब्धियों का उल्लेख निम्नवत हैं :

- विगत वर्षों में गृह विभाग द्वारा विभिन्न पुलिस बल में कुल 26,539 नियुक्तियां की गई है जिसमें महिलाओं की संख्या 9,893 है।

- पुलिस अवर निरीक्षक (SI) एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Range Officer) की पिछले वर्षों में की कुल 5,037 नियुक्तियां की गयी है जिसमें 1,845 महिलाएं है।

- अब तक राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक (Tutor) की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है तथा लगभग 10,550 ए.एन.एम. की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- युवाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अतंर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रूपये अनुदान एवं 5 लाख रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में लगभग 8 हजार लाभुकों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत लाभान्वित किया जा रहा है।

- वर्ष 2023–24 के बजट में, सात निश्चय–2 के अवयव 'सशक्त महिला–सक्षम महिला' को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में प्राथमिकता दी गई है।
- बिहार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर पूरे देश को रास्ता दिखाया। इसका नतीजा है कि वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलायें निर्वाचित हैं एवं नगर निकायों में 16 मुख्य पार्षद एवं 6 उप मुख्य पार्षद महिलायें सहित कुल 2,858 महिला पार्षद निर्वाचित हैं।
- ''जीविका'' बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके द्वारा महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं (जीविका दीदियों) के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके प्रशिक्षण–सह–सम्पोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीविका के माध्यम से किये गये सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल एवं आत्मसम्मान का संचार हुआ है एवं सामाजिक स्तर पर उनकी सशक्त उपस्थिति हो सकी है।
- अब तक जीविका द्वारा कुल 10.42 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 01 करोड़ 28 लाख से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। विभिन्न अस्पतालों में 78 'दीदी की रसोई', 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 04 अन्य संस्थानों में 'दीदी की रसोई' का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई का संचालन कराये जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ–सफाई, मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराये जाने की योजना है।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 40 जीविका दीदी को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर विकसित किया गया है। राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 7,728 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 2418.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है, जिसमें 319 नर्सरी मनरेगा के तहत तथा 200 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के समन्वय से विकसित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा जीविका संपोषित ग्राम संगठनों के माध्यम से जल–जीवन–हरियाली मिशन के तहत तालाबों का रख–रखाव, विद्यालयों में पोशाक की सिलाई एवं आपूर्ति, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार के साथ रख–रखाव आदि कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1,00,000/– रुपये तथा 50,000/– रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अन्तर्गत 6,75,125 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

- वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना/बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत 18,08,534 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।
- वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत बालिका (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना के तहत 5,21,078 अविवाहित बालिकाओं को 25,000/– रुपये की दर से प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 33,843 छात्राओं के बीच 84.60 करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है।
- यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दिया गया है।
- अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के तहत 46 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है तथा 07 छात्रावास निर्माणाधीन है।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजनान्तर्गत सहायता राशि 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 25,000/– रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि इनके आत्मनिर्भरता हेतु सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
- राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस बल को सशक्त बनाया गया है। पुलिस बल में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का निर्माण लगातार किया गया है।
- बच्चियों, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष पोषाहार योजना।
- महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम एवं योजना।
- दहेज प्रथा, दहेज प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न आदि समस्याओं का उन्मूलन एवं पुनर्वास।
- महिलाओं तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का कार्यान्वयन।
- आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान।

महिला एवं बालिकाओं के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ

जेंडर बजट दस्तावेज महिला एवं बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से महिलाओं के कल्याण और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभाग महिला केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। ऐसी योजनाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के महिलाओं को लाभ देने के लिए लक्षित किया जाता है। कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रशिक्षण एवं महिला विकास निगम इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र में रखकर विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जानेवाली योजनाओं की विवरणी निम्नांकित है :–

समाज कल्याण विभाग

1. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना :

किशोरियों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण की पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने एवं जीवन चक्र को स्वस्थ बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना समेकित बाल विकास सेवा के प्लैटफॉर्म का उपयोग करके किशोरियों के लिए सहयोग पूर्ण वातावरण प्रस्तुत करना है। इसमें 11–14 वर्ष की विद्यालय के बाहर की लड़कियों की बहुआयामी जरूरतों की पूर्ति तथा उन्हें स्कूली व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किशोरी योजना का क्रियान्वयन 177 परियोजना के जरिए बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में होना है।

2. पालनाघर :

कामकाजी महिलाओं पर बच्चों की देख–रेख का बोझ घटाने के लिए पालनाघर की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। यहाँ बच्चों के लिए शिशुशाला सुविधा दी जाती है, जिससे महिला श्रमशक्ति की भागीदारी को बढ़ावा मिले। वर्तमान में चार जगहों पर पालना गृह का संचालन किया जा रहा है, (1) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार (2) कारा विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना (3) नया सचिवालय, विकास भवन, पटना एवं (4) सरदार पटेल भवन, पटना।

3. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

महिलाओं एवं किशोरियों के समेकित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से संचालित है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के तहत 6020.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

4. सामाजिक पुनर्वास कोष :

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं एवं किशारियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं अपराधिक हिंसा, मानव पणन, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके 5 वर्ष के आश्रित बच्चों के चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक पुनर्वास कोष से वर्ष 2022 तक कुल 1,142 लाभार्थियों को कुल 55.23 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

5. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :**

इस योजना के तहत बी०पी०एल० परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000/– रुपये से कम हो, को कन्या के विवाह के समय 5,000/– रुपये मात्र का भुगतान प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह रोकना है। वर्ष 2023–24 में 100.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. **मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :**

इस योजना के तहत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर, जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो, अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा, यदि ऐसे विवाह में पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों को अनुदान देय होगा। इन दोनों योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा के माध्यम से 1,00,000/– रूपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

7. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :**

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को प्रथम जीवित संतान हेतु सशर्त्त नगद लाभ 5,000/– रूपये का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः 1,000/–, 2,000/– ए,वं 2000/– रूपये की दर से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में 1884.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 3256.20 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

8. **वन स्टॉप सेन्टर–सह–महिला हेल्पलाईन :**

महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के शिकायतों को पंजीकृत कर त्वरित निष्पादन की कारवाई वन स्टॉप सेंटर द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में जिला पदाधिकारी के अधीन महिला हेल्पलाईन 181 की स्थापना की गई है तथा इसका संचालन किया जा रहा है। इसकी सेवाएँ 24x7 उपलब्ध है।

9. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि :**

राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सिविल सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त 50,000/– (पचास हजार) रूपये तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त 1,00,000/– (एक लाख) रूपये मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2021 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की कुल 22 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया एवं वर्ष 2022 में उत्तीर्ण 33 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

10. **राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृहः**

राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर, आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा का शुभारंभ किया गया है।

11. **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :**

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण–स्वास्थ्य–शिक्षा–स्वावलंबन पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात को संतुलित करने, जन्म निबंधन को बढ़ावा देने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने, कुल प्रजनन दर में कमी लाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारम्भ किया गया है। इसमें कन्या के जन्म से स्नातक शिक्षा तक सरकार द्वारा बालिकाओं को निम्न रूप से सहायता राशि दी जाती है–

कन्या के जन्म पर	– रू0 2000/–
कन्या के एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आधार पंजीकरण कराने पर	– रू0 1,000/–
कन्या के दो वर्ष पूर्ण होने पर (टीकाकरण उपरांत)	– रू0 2,000/–
वर्ग 1–2 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	– रू0 600/–
वर्ग 3–5 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	– रू0 700/–
वर्ग 6–8 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	– रू0 1,000/–
वर्ग 9–12 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	– रू0 1,500/–
वर्ग 7–12 (किशोरी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सेनेटरी नैपकीन हेतु) प्रतिवर्ष	– रू0 300/–
इन्टरमीडिएड उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	– रू0 25,000/–
स्नातक उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	– रू0 50,000/–

वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत बालिका (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना के तहत 5,21,078 अविवाहित बालिकाओं को 25,000/– रुपये की दर से प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 400.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

12. **मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना :**

इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 33,843 छात्राओं के बीच 84.60 करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

13. **महिला विकास निगम :**

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है। महिला विकास निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित गतिविधियां निर्धारित की गई हैं।

- आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीर्घकालीन आजीविका निर्माण को प्रोत्साहन,
- महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास व प्रोत्साहन,
- महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता एवं क्षमता विकास,
- सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहन तथा क्षमता विकास,
- सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाओं के साथ सहभागिता,
- महिला संबंधित अधिनियमों का कार्यान्वयन।

14. **अल्पावास गृह :**

घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घर में आवासन की असुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी गई है, जिसके आलोक में वर्तमान समय में राज्य के 11 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है तथा अन्य जिलों में कार्यान्वित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

15. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :**

यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है। इसका वार्षिक आवंटन प्रति जिला रू0 50.00 लाख की राशि सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

16. **बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान :**

सरकार ने राज्य में व्याप्त बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को गंभीरता से लिया है। यह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है, जिसका बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक नुकसान विभिन्न अध्ययनों में प्रमाणित हो चुका है। अतः बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। महिला विकास निगम द्वारा 'उड़ान प्रोजेक्ट' के माध्यम से कार्य योजना के आधार पर कार्य किया जा रहा है।

17. **पूरक पोषाहार :**

राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वीकृत एवं संचालित 1,14,718 आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों/सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रूपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रूपये तथा गर्भवती/प्रसूति महिला को 9.50 रूपये की दर से प्रतिदिन निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है।

18. **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40–79 वर्ष आयु–वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/– प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/– केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

19. **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/– से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों, परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इसमें शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

20. **ओल्ड एज होम (सहारा) :**

वृद्धों के पुनर्वास के लिए ''ओल्ड एज होम'' (सहारा) का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के पाँच जिलों यथा– पटना, रोहतास, भागलपुर, पूर्णियाँ एवं पश्चिमी चम्पारण में किया जा रहा है। इन 05 वृद्धाश्रम की आवासन क्षमता 300 है, जिसमें 212 वृद्धजन आवासित है। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से गुलजारबाग, पटना में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है। साथ ही, गया में भी वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा चुका है।

21. बिहार राज्य महिला आयोग :

महिलाओं के अधिकार के संरक्षण हेतु बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 के द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। सितम्बर, 2001 से यह आयोग महिलाओं के हितों के लिए सतत प्रयत्नशील है। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं के निराकरण करने एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करना है।

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग

1. अनु. जाति एवं अनु. जनजाति छात्रवृत्ति योजना :

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। इस योजना के तहत विद्यालय छात्रवृति का दर निम्नवत है :–

- वर्ग 1–4 के लिए प्रतिमाह – 50 रू0
- वर्ग 5–6 के लिए प्रतिमाह – 100 रू0
- वर्ग 7–10 के लिए प्रतिमाह – 150 रू0
- छात्रावासी वर्ग 1–10 तक के लिए प्रतिमाह – 250 रू0

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत संपूर्ण फीस के साथ मासिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति मेधावृत्ति योजना :

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें 10,000/– रू0 एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्रा को 8,000/– रू0 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्राओं को क्रमशः 15,000/– रू0 एवं 10,000/– रू0 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

3. आवासीय विद्यालय :

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 66 तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 36 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अनु. जनजाति के लिए दो एकलव्य आवासीय विद्यालय यथा– बेलाटाड़ी, प0 चम्पारण एवं आस्ता, जमुई जिला में स्वीकृति दी गयी है तथा 720 आवासन वाले पांच अनुसूचित जनजाति आवासीय–सह–शिक्षा विद्यालयों क्रमशः किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया जिला में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

4. छात्रावास :

वर्त्तमान में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवासन की सुविधा हेतु छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में अनु. जाति के छात्राओं के लिए 7 एवं अनु. जनजाति के छात्राओं के लिए 1 छात्रावास संचालित हैं।

5. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :

अनु. जाति के छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में सफल होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु 10 प्राक् प्रशिक्षण केन्द्र

यथा पटना, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णियाँ जिला में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें GMAT/CAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है।

6. महादलित विकास मिशन :

महादलितों के विकास हेतु सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड / वार्ड समूह (शहरी) में एक–एक विकास मित्र चयन किया जाता है। विकास मित्रों हेतु कुल–9,875 पद स्वीकृत हैं। इसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्तमान में 9,554 विकास मित्र कार्यरत हैं। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक / युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास भी संचालित है। इसका कार्यान्वयन गैर सरकारी संस्था नारी गुंजन के द्वारा पटना एवं गया में किया जा रहा है। विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 लक्ष्य के विरूद्ध 149 महादलित छात्राओं एवं गया में 100 लक्ष्य के विरूद्ध 99 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

बिहार महादलित विकास मिशन एवं महिला विकास निगम, पटना के सहयोग से सभी जिलों में प्रत्येक विकास मित्र क्षेत्र में 03 किशोरी एवं 01 किशोर समूह अर्थात कुल 04 किशोर / किशोरी समुह का गठन किया गया था। चिन्हित विकास मित्रों को उनके पंचायत / वार्ड में किशोर समूह बनाने के लिए महिला विकास निगम के सहयोग से प्रशिक्षित भी किया जाता है।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सहायता :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी राहत राशि प्रदान की जाती है।

8. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना :

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व्यक्तियों के साथ–साथ महिलाओं को भी आर्थिक उत्थान हेतु ऋण के साथ अधिकतम 50 हजार अनुदान प्रदान किया जाता है।

9. अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता :

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ–साथ महिलाओं को भी आर्थिक उत्थान हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कक्षा I से IV 600 / – रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर, कक्षा V से VI 1,200 / – रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर, कक्षा VII से X 1,800 / –रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर एवं कक्षा I से X (छात्रावासी) 3,000 / – रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की दर पर एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त करने हेतु पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये को बढ़ाकर वर्ष 2020–21 के प्रभाव से 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 में कुल 6,79,760 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके विरूद्ध जाँचोपरान्त अब तक 4,78,062 छात्र/छात्राओं के बीच कुल 194.53 करोड़ रुपये वितरित की जा चुकी है।

3. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित 2.50 लाख रुपये से अधिक एवं 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के प्रति छात्र/छात्राओं 10,000/– रुपये की दर से एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 99,067 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

5. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :

इसके अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले वैसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000/– रुपये तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र 10,000/– रुपये एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 73,185 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

6. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना :

वर्तमान में 32 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित हैं। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :

वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है जिनमें वर्ग 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अब तक 28 जिलों में 29 आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

8. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :

वर्तमान में 36 जिलों में इस योजना के तहत् केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुल 3,618 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत् हैं।

9. मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना :

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय अवस्थित केन्द्र में 41, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान में 36 तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में 120 छात्र/छात्राएँ प्रशिक्षणरत् हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण योजना :

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में अब तक 63,586 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 83.40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु 1,210 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2018–19 से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रति माह प्रति छात्र/छात्रा को 1,000/– रुपये अनुदान राशि तथा उन छात्रावासों में प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के तहत 46 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है तथा 07 छात्रावास निर्माणाधीन है।

2. मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना :

राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एकमुश्त 10,000/– रू0 की दर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 25,000/– रू0 कर दिया गया है।

3. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को, जो आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, उन्हें 10,000/– रू0 एवं शैक्षणिक वर्ष 2014 से इन्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000/– रू0 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी (इन्टर) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000/– रू0 एवं फौकानिया (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10,000/– रू0 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बंगला भाषा रख कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में अबतक 63,586 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 83.40 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गए हैं।

4. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना :

सुशासन कार्यक्रम के तहत ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना'' अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रू0 से अधिक न हो, को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0 के माध्यम से 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु अधिकतम 5 लाख रू0 तक ऋण राशि प्रदान की जाती है।

5. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना :

अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008–09 से स्वीकृत है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के नव–युवक एवं नव–युवतियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है।

6. **राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :**

केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित कोटे से बच गए योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारंभ की गई है।

7. **प्रधानमंत्री जन–विकास कार्यक्रम (पूर्व में अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम) :**

इस योजना के तहत् राज्य के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखण्डों एवं नगर निकायों में आधारभूत संरचना यथा– विद्यालय भवन, छात्रावास, परीक्षा भवन, पुस्तकालय भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह, आशा विश्रामगृह, शौचालय, सदभाव मंडप आदि का निर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग

1. **नगर/पंचायत/जिला परिषद शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी :**

स्थानीय निकायों के नगरपालिकाएं, पंचायतों, प्रखंडों, जिला परिषदों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा/सम्मान में वृद्धि हुई है और उनकी भागीदारी से उनमें आयवर्द्धक नेतृत्व विकास की भावना विकसित हो रही है। यह योजना महिलाओं को पुरूष के बराबर अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

2. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :**

बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरूआत की है। यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं के लिए लागू की गयी है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 2 की छात्राओं के लिए 600/– रू0 की दर से, कक्षा 3 से 5 की छात्राओं के लिए 700/– रू0 की दर से एवं कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के लिए 1,000/– रू0 की दर से राशि दिये जाने का प्रावधान है।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा की छात्राओं को प्रति छात्रा 1,500/– रू0 की दर से राशि दी जा रही है। वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना/बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत 18,08,534 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

3. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :**

राज्य सरकार ने परिवारों एवं समुदायों की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकालने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साईकिल योजना की शुरूआत जून 2007 में की। इस योजना ने गाँवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभायी है। किशोरवय की जिन लड़कियों को इच्छा के बावजूद पहले बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी, ऐसी वर्ग 09 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000/– रूपये की राशि साईकिल खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होती है और दूर–दराज इलाके की बालिकाएँ भी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने से पीछे नहीं रही है। यह योजना महिलाओं के शिक्षोत्थान में क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अन्तर्गत 6,75,125 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

4. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना :

इस योजना द्वारा विद्यालयों में नामांकित 12 वर्ष से अधिक उम्र की सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु 300/– रू0 प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोचपन को बहुत हद तक दूर कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना के तहत 25.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

5. बिहार बाल भवन किलकारी योजना :

बाल भवन ''किलकारी'' वर्ष 2008 से बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए संचालित है। इस योजना में 08–16 वर्ष के बच्चों को 26 प्रकार की गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत् बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है, ताकि लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव न रहे। वर्ष 2022–23 में लगभग 60 हजार बच्चों तक किलकारी ने पहुंच बनाई है।

6. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :

(क) मुख्यमंत्री बालिका (मैट्रिक) प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण (सामान्य, BC-II) छात्राओं को प्रति छात्रा 10,000/– रुपये की दर से प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(ख) मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 25,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 5,21,078 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 400.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ग) मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 33,843 छात्राओं के बीच 84.60 करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

7. बालिका छात्रवृत्ति योजना :

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत/मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य कोटि के छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ग 1 से 4 के लिए 50/– रूपये प्रतिमाह, वर्ग 5 से 6 के लिए 100/– रूपये प्रतिमाह एवं वर्ग 7 से 10 के लिए 150/– रूपये प्रतिमाह की दर से राशि दिया जाना प्रावधानित है। इस योजना से छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी की प्रतिशतता काफी बढ़ी है।

8. मध्याह्न भोजन योजना :

इस योजना के तहत वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों के लिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस योजना ने सामाजिक समरसता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन दर को काफी बढ़ा दिया है, जिससे सरकार उत्साहित होकर दिन प्रतिदिन इसमें आशातीत सुधार जैसे मेनू आदि में कर रही है। असमानता, जातिवाद एवं आर्थिक विषमता की भावना को मिटाने में यह योजना लाभकारी रही है।

9. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभिवंचित वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन :

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार वैसे विद्यालय को अनुदान देती है। इस योजना से समाज के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग की छात्र एवं छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं।

10. बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण :

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/बुनियादी विद्यालयों में बालिकाओं को आत्म–रक्षार्थ कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि के अन्तर्गत आने वाली इस योजना के द्वारा बालिकाओं में हीन भावना दूर भागती है तथा शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर वे अपने आपको मजबूत बनाती हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा लड़कियाँ छेड़खानी करने वालों से आत्मरक्षा कर सकती है।

11. सब जुनियर (स्पोर्ट्स मीट–तरंग) :

प्राथमिक शिक्षान्तर्गत जूनियर बच्चों के खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ''तरंग'' कार्य कर रही है। यह समाज के अभिवंचित वर्ग की छात्र/छात्राओं के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बिहार सरकार इस ''तरंग'' कार्यक्रम के आयोजन में अनुदान देती है।

12. प्रौढ़ शिक्षा :

साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इस योजना द्वारा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाकर साक्षर महापरीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इससे साक्षरता बढ़ी है। इसके अलावा भारत साक्षरता मिशन भी एक लाभकारी आयोजन है। इसका उद्देश्य भी साक्षरता दर को ऊँचा उठाना है।

13. समग्र शिक्षा अभियान :

राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो इस दिशा में सरकार की चल रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने में समग्र शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। इस योजना के द्वारा स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं प्रत्येक विद्यालय को शौचालय–युक्त बनाने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है।

14. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय :

राज्य सरकार महिलाओं के अध्ययन के लिए काफी प्रयासरत है। आज राज्य में विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना महिलाओं के लिए अलग से की जा रही है। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्म निर्भर बनाने में सराहनीय रहा है।

15. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय :

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित समूहों, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना से बालिकाऍं भी अब अपने घर से दूर विद्यालय में ही एक शैक्षणिक वातावरण में रह सकती है।

16. आई0 सी0 टी0 परियोजना :

इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना में राज्य के बालक/बालिकाओं को मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके द्वारा एक ओर लड़कियों में समानता की भावना पनप रही है तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

17. **राजकीय महिला महाविद्यालय :**

राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग तथा गर्दनीबाग की स्थापना की गयी है।

18. **उन्नयन कार्यक्रम योजना :**

इस कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा, स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं से विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

19. **मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना :**

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु रू0 20,000/– (बीस हजार) की दर से प्रत्येक विद्यालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यावहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण से छात्र–छात्राओं में आत्मविश्वास एवं ज्ञान की वृद्धि हो रही है।

20. **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम :**

मुख्यमंत्री के सात निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के अंतर्गत राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम रू0 4,00,000/– (चार लाख) तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है। इसके तहत् छात्रों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा छात्राओं एवं दिव्यांगों के लिए सिर्फ 1 प्रतिशत की दर पर ब्याज देय है।

स्वास्थ्य विभाग

1. **आदर्श दम्पत्ति योजना :**

राज्य में ''आदर्श दम्पत्ति योजना'' के नाम से एक योजना मई, 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को लक्षित दम्पत्तियों को निम्नांकित परामर्श देने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है :

- आशा द्वारा नवविवाहित दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष के पश्चात् पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित कराने पर आशा को रू0 500/– देय है।
- आशा द्वारा एक संतान वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर रू0 500/– पुनः आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।
- आशा द्वारा दो बच्चों वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन की स्थायी विधि सुनिश्चित कराने पर अतिरिक्त रू0 1,000/– आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।

2. **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना :**

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना को राज्य में जुलाई, 2006 से प्रारंभ किया गया है।

प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 1,400/–प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को रू0 600/– (01 अप्रैल, 2013 से लागू) तथा शहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को रू0 1,000/– व आशा/आंगनबाड़ी सेविका को रू0 400/– की प्रोत्साहन राशि देय है।

3. **ममता कार्यक्रम :**

इसमें अनुसूचित जाति विशेषकर रविदास समूह की महिलाएँ होती हैं, जो मुख्यतः गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु की देख–रेख एवं अन्य सुविधा देने हेतु नियुक्त की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति प्रसव रू0 300/–प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

4. **आशा कार्यक्रम :**

इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं का चयन होता है। सामान्यतः एक हजार की आबादी अथवा एक आंगनबाड़ी केन्द्र में एक महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहती है। इनको पारिश्रमिक के तौर पर एन0आर0एच0एम0 के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :**

वित्तीय वर्ष 2016–17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृह–विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। गृह निर्माण हेतु सामान्य जिलों के लिए रू0 1,20,000/– एवं एकीकृत कार्य योजना (IAP District) वाले जिलों के लिए रू0 1,30,000/– की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

2. **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना :**

दिनांक–01.01.1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार, जो आवास योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का लाभ पाने से वंचित हैं तथा जिनका घर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, उनके आवासों के पुनर्निर्माण हेतु रू0 1,20,000/– की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. **मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना :**

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रतीक्षा सूची में शामिल वास–स्थल विहीन अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 60,000/– रू0 तक के वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

4. **बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना (जीविका) :**

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ''जीविका'' बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं (जीविका दीदियों) के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके प्रशिक्षण–सह–सम्पोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीविका के माध्यम से किये गये सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल एवं आत्मसम्मान का संचार हुआ है एवं सामाजिक स्तर पर उनकी सशक्त उपस्थिति हो सकी है।

जीविका द्वारा अब तक कुल 10.42 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 01 करोड़ 28 लाख से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। विभिन्न अस्पतालों में 78 'दीदी की रसोई', 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 04 अन्य संस्थानों में 'दीदी की रसोई' का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला में दीदी की रसोई का संचालन कराये जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ–सफाई, मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराये जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 40 जीविका दीदी को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर विकसित किया गया है। राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 7,728 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 2418.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है जिसमें 319 नर्सरी मनरेगा के तहत तथा 200 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के समन्वय से विकसित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जीविका संपोषित ग्राम संगठनों के माध्यम से जल–जीवन–हरियाली मिशन के तहत तालाबों का रख–रखाव, विद्यालयों में पोशाक की सिलाई एवं आपूर्ति, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार के साथ रख–रखाव आदि कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी सतत् जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :

सक्षम बिहार एवं स्वावलंबी बिहार अंतर्गत 7 निश्चय 2 में लक्षित 'स्वच्छ गांव समृद्ध गांव' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच से मुक्ती का स्थायित्व सुनिश्चत करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदायों का व्यवहार परिवर्तन एवं नये परिवारों/छुटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों की शुलभता तथा चरणबद्ध तरीकों से ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन द्वारा राज्य के सभी गांव को ODF+ बनाया जाना है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीत वास भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सुयोग्य श्रेणी यथा– अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I एवं अनुसूची–II) के वास भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार 05 डिसमिल की दर से वास हेतु भूमि/भू–खण्ड उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर बी.पी.पी.एच.टी. एक्ट, 1949 के अंतर्गत पर्चा देने की कार्रवाई की जाती है। इसके उपरांत अवशेष सुयोग्य श्रेणी के वास–भूमि रहित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/गैरमजरूआ आम/भू–हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में अवशेष बचे परिवारों को बिहार गृहस्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 के तहत सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को भूमि/भू–खण्ड क्रय कर उपलब्ध कराई जाती है। सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने की स्थिति में 05 डिसमिल प्रति परिवार की दर से कुल 100 डिसमिल वासभूमि के अतिरिक्त 20.00 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग

1. हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास :

हस्तकरघा बुनकर एवं रंगरेज हेतु सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें कटाई, बुनाई, रंगाई इत्यादि की सुविधा महिलाओं को भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला/उत्सव/सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. **इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना :**

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत् युवक/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना :**

राज्य में पूर्व से क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के क्रम में राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य सात निश्चय पार्ट–2 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित करनेवाली महिलाओं को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जाती है तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 समान किस्तों में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति सहायता के लिए प्रति इकाई 25,000 के दर से व्यय किया जायेगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. **मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (7 निश्चय) :**

- 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 31.12.2022 तक 55,900 वार्डों (99%) में कार्य पूर्ण है और 82.87 लाख परिवारों (98.12%) को जलापूर्ति की जा रही है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- राज्य के 30,2077 ग्रामीण वार्ड भूजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों के भूजल में फ्लोराईड और 21,709 वार्डों के भूजल में आयरन की मात्रा निर्धारित अनुमान्य सीमा से अधिक है। इन वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) और अन्य योजना अंतर्गत जलशुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजनाएं अधिष्ठापित की गई हैं और प्रभावित वार्डों में शोधित जलापूर्ति की जा रही है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में 1,118 पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं में पाईप लाईन का विस्तार करते हुए लाभुक परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से आच्छादित क्षेत्र के सभी 8,148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को 'नल का जल' उपलब्ध कराया जा रहा है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

परिवहन विभाग

1. **महिलाओं को वाहन कर में छूट :**

यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निबंधित होता है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान जेन्डर बजट का अवलोकन

(राशि लाख रू0 में)

विभाग का नाम	2022–23 (BE)		2023–24 (BE)	
	बजट	महिलाओं पर व्यय	बजट	महिलाओं पर व्यय
कृषि विभाग	274581.43	82399.75	278199.00	83458.30
भवन निर्माण विभाग	58900.00	20870.00	53100.00	25970.00
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6445.09	1957.03	19027.59	5708.28
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	183534.09	88836.50	174784.21	84924.90
पंचायती राज विभाग	59700.00	29850.00	47171.99	23585.99
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	24008.00	8028.59	20592.03	6896.24
स्वास्थ्य विभाग	472497.26	269080.14	486925.21	274998.50
शिक्षा विभाग	3157142.31	1091009.54	3178847.54	1257263.83
गृह विभाग	50.00	50.00	1419.72	1419.72
उद्योग विभाग	109155.00	39389.50	95809.00	46242.70
श्रम संसाधन विभाग	26995.00	9288.51	35936.26	12355.88
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	39100.00	15870.00	41600.00	20660.00
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	194765.00	58429.50	194765.00	58429.50
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	7355.00	7355.00	1900.00	1900.00
ग्रामीण विकास विभाग	1480718.00	1259740.60	1469013.00	1149096.17
विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	14856.84	14856.84	17169.60	17169.60
अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण विभाग	163962.69	58536.85	165065.26	61315.60
पर्यटन विभाग	15500.00	7500.00	24500.00	12250.00
नगर विकास एवं आवास विभाग	336459.95	101231.00	342739.00	106117.43
समाज कल्याण विभाग	812295.17	501423.81	759610.18	545108.09
कुल योग	7438020.83	3665703.17	7408174.59	3794870.73

नोट : बजट में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है, जिनमें जेंडर बजट के आंकड़ें सम्मिलित किए गए हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष (2022–23) की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023–24) में महिलाओं के लिए किए जानेवाले कुल व्यय में 3.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जेन्डर बजट 2023–24

विभागवार विवरणी

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2021–22 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेन्डर बजट अनुमान)	2022–23 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (कुल बजट अनुमान)	2023–24 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	40375.71	82399.75	96699.73	278199.00	83458.30
2	भवन निर्माण विभाग	6785.74	20870.00	22439.00	53100.00	25970.00
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	672.06	1957.03	1968.49	19027.59	5708.28
4	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	126919.64	88836.50	94949.13	174784.21	84924.90
5	पंचायती राज विभाग	15331.10	29850.00	29850.00	47171.99	23585.99
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7409.93	8028.59	8028.60	20592.03	6896.24
7	स्वास्थ्य विभाग	226226.15	269080.14	357383.85	486925.21	274998.50
8	शिक्षा विभाग	1007475.42	1091009.54	1160716.76	3178847.54	1257263.83
9	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	1419.72	1419.72
10	उद्योग विभाग	32275.48	39389.50	42389.50	95809.00	46242.70
11	श्रम संसाधन विभाग	8655.09	9288.51	9288.51	35936.26	12355.88
12	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	9170.54	15870.00	15870.00	41600.00	20660.00
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	71327.02	58429.50	58425.26	194765.00	58429.50
14	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	435.82	7355.00	7355.00	1900.00	1900.00
15	ग्रामीण विकास विभाग	1132457.43	1259740.60	1595740.55	1469013.00	1149096.17
16	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	11238.11	14856.84	16920.61	17169.60	17169.60
17	अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण विभाग	51048.58	58536.85	69542.90	165065.26	61315.60
18	पर्यटन विभाग	2441.14	7500.00	8500.00	24500.00	12250.00
19	नगर विकास एवं आवास विभाग	80001.73	101231.00	111731.00	342739.00	106117.43
20	समाज कल्याण विभाग	539298.02	501423.81	708023.77	759610.18	545108.09
	योग	**3369561.03**	**3665703.16**	**4415872.66**	**7408174.59**	**3794870.73**

वर्ष 2023–24 के जेन्डर बजट के अंतर्गत महिलाओं पर व्यय किये जाने हेतु बजट में प्रावधानित राशि

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम–से–कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल योग
1	कृषि विभाग	278199.00	0.00	83458.30	83458.30
2	भवन निर्माण विभाग	53100.00	0.00	25970.00	25970.00
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	19027.59	0.00	5708.28	5708.28
4	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	174784.21	6047.80	78877.10	84924.90
5	पंचायती राज विभाग	47171.99	0.00	23585.99	23585.99
6	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	39143.00	0.00	0.00	0.00
7	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	20592.03	0.00	6896.24	6896.24
8	स्वास्थ्य विभाग	486925.21	133714.02	141284.48	274998.50
9	शिक्षा विभाग	3178847.54	79277.30	1177986.53	1257263.83
10	गृह विभाग	1419.72	1419.72	0.00	1419.72
11	उद्योग विभाग	95809.00	25000.00	21242.70	46242.70
12	श्रम संसाधन विभाग	35936.26	2250.00	10105.88	12355.88
13	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	41600.00	200.00	20460.00	20660.00
14	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	194765.00	0.00	58429.50	58429.50
15	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1900.00	1900.00	0.00	1900.00
16	ग्रामीण विकास विभाग	1469013.00	691714.00	457382.17	1149096.17
17	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	17169.60	17169.60	0.00	17169.60
18	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	165065.26	0.00	61315.60	61315.60
19	पर्यटन विभाग	24500.00	0.00	12250.00	12250.00
20	नगर विकास एवं आवास विभाग	342739.00	0.00	106117.43	106117.43
22	समाज कल्याण विभाग	759610.18	94944.65	450163.44	545108.09
	योग	**7408174.59**	**1053637.09**	**2741233.64**	**3794870.73**

जेन्डर बजट 2023–24 विभागवार विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2021–22 (वास्तविकी जेन्डर)	2022–23 (जेन्डर बजट अनुमान)	2022–23 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2023–24 (कुल बजट अनुमान)	2023–24 (जेन्डर बजट अनुमान)
08	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	283.97	499.03	510.49	1532.59	459.78
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	967.87	1611.50	1879.33	7131.21	6377.82
16	पंचायती राज विभाग	6588.90	10050.00	10050.00	20100.01	10050.00
20	स्वास्थ्य विभाग	4297.92	9310.94	9298.94	22580.19	16060.49
21	शिक्षा विभाग	242243.04	314106.86	313490.66	988339.70	350253.59
22	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	60.00	60.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	11145.92	14256.86	15919.86	16369.60	16369.60
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	5381.27	6608.84	5786.51	22702.26	6668.20
51	समाज कल्याण विभाग	620.05	1203.79	1203.79	1200.80	1200.80
	कुल योग	271545.26	357697.82	358189.58	1080016.36	407500.28

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2023–24 विभागवार विवरणी

स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2021–22 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेन्डर बजट अनुमान)	2022–23 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2023–24 (कुल बजट अनुमान)	2023–24 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	40375.71	82399.75	96699.73	278199.00	83458.30
03	भवन निर्माण विभाग	6785.74	20870.00	22439.00	53100.00	25970.00
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	388.09	1458.00	1458.00	17495.00	5248.50
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	125951.77	87225.00	93069.80	167653.00	78547.08
16	पंचायती राज विभाग	8742.20	19800.00	19800.00	27071.98	13535.99
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7409.93	8028.59	8028.60	20592.03	6896.24
20	स्वास्थ्य विभाग	221928.23	259769.20	348084.91	464345.02	258938.01
21	शिक्षा विभाग	765232.38	776902.68	847226.10	2190507.84	907010.24
22	गृह विभाग	0.00	0.00	0.00	1359.72	1359.72
23	उद्योग विभाग	32275.48	39389.50	42389.50	95809.00	46242.70
26	श्रम संसाधन विभाग	8655.09	9288.51	9288.51	35936.26	12355.88
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	9170.54	15870.00	15870.00	41600.00	20660.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	71327.02	58429.50	58425.26	194765.00	58429.50
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	435.82	7355.00	7355.00	1900.00	1900.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	1132457.43	1259740.60	1595740.55	1469013.00	1149096.17
43	विज्ञान प्रावैधिकी विभाग	92.19	600.00	1000.75	800.00	800.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	45667.31	51928.01	63756.39	142363.00	54647.40
46	पर्यटन विभाग	2441.14	7500.00	8500.00	24500.00	12250.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	80001.73	101231.00	111731.00	342739.00	106117.43
51	समाज कल्याण विभाग	538677.97	500220.02	706819.98	758409.38	543907.29
	कुल योग	3098015.77	3308005.36	4057683.08	6328158.23	3387370.45

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2023–24 विभागवार विवरणी

श्रेणी–ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2021–22 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेन्डर बजट अनुमान)	2022–23 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (कुल बजट अनुमान)	2023–24 (जेन्डर बजट अनुमान)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	941.15	1574.00	1583.00	6047.80	6047.80
20	स्वास्थ्य विभाग	106518.45	133468.71	166458.82	133714.02	133714.02
21	शिक्षा विभाग	276076.42	114393.09	234369.10	84277.30	79277.30
22	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	1419.72	1419.72
23	उद्योग विभाग	20000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
26	श्रम संसाधन विभाग	1397.94	1700.00	1700.00	2250.00	2250.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	66.00	200.00	200.00	200.00	200.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	435.82	7355.00	7355.00	1900.00	1900.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	736756.05	924317.00	1223351.00	691714.00	691714.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	11238.11	14856.84	16920.61	17169.60	17169.60
51	समाज कल्याण विभाग	93765.70	84049.74	119557.39	94944.65	94944.65
	कुल योग	1247211.96	1306964.38	1796544.92	1058637.09	1053637.09

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2023–24 विभागवार विवरणी

श्रेणी–बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रू. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2021–22 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेन्डर बजट अनुमान)	2022–23 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (कुल बजट अनुमान)	2023–24 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	40375.71	82399.75	96699.73	278199.00	83458.30
3	भवन निर्माण विभाग	6785.74	20870.00	22439.00	53100.00	25970.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	672.06	1957.03	1968.49	19027.59	5708.28
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	125978.49	87262.50	93366.13	168736.41	78877.10
16	पंचायती राज विभाग	15331.10	29850.00	29850.00	47171.99	23585.99
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7409.93	8028.59	8028.60	20592.03	6896.24
20	स्वास्थ्य विभाग	119707.70	135611.43	190925.03	353211.19	141284.48
21	शिक्षा विभाग	731399.00	976616.45	926347.66	3094570.24	1177986.53
23	उद्योग विभाग	12275.48	14389.50	17389.50	70809.00	21242.70
26	श्रम संसाधन विभाग	7257.15	7588.51	7588.51	33686.26	10105.88
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	9104.54	15670.00	15670.00	41400.00	20460.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	71327.02	58429.50	58425.26	194765.00	58429.50
42	ग्रामीण विकास विभाग	395701.38	335423.60	372389.55	777299.00	457382.17
44	अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण विभाग	51048.58	58536.85	69542.90	165065.26	61315.60
46	पर्यटन विभाग	2441.14	7500.00	8500.00	24500.00	12250.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	80001.73	101231.00	111731.00	342739.00	106117.43
51	समाज कल्याण विभाग	445532.32	417374.07	588466.38	664665.53	450163.44
	योग	**2122349.07**	**2358738.78**	**2619327.74**	**6349537.50**	**2741233.64**

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2023–24

श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	941.15	1574.00	1583.00	6047.80	6047.80
कुल योग	**941.15**	**1574.00**	**1583.00**	**6047.80**	**6047.80**
मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	113.75	279.90	279.90	312.97	312.97
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	1687.56	3688.81	3673.81	11401.05	11401.05
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	11921.88	12000.00	12000.00	1000.00	1000.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	825.00	1500.00	1500.00	500.00	500.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	3089.45	5000.00	16000.00	2500.00	2500.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1007.67	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	315.31	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	73797.38	90000.00	90000.00	97000.00	97000.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	13760.45	11500.00	33505.11	11500.00	11500.00
कुल योग	**106518.45**	**133468.71**	**166458.82**	**133714.02**	**133714.02**
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	1624.01	1293.09	1298.10	1275.30	1275.30
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना– प्रारंभिक शिक्षा	15476.42	10000.00	10000.00	5000.00	5000.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना– माध्यमिक शिक्षा	43006.72	14924.00	20654.00	3500.00	3500.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना (एस0सी0)– माध्यमिक शिक्षा	9933.19	3276.00	3276.00	1000.00	1000.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना – उच्चतर शिक्षा	4697.78	1800.00	4674.00	500.00	500.00
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना–माध्यमिक शिक्षा	38623.51	10086.00	16237.00	3500.00	3500.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	19792.48	0.00	0.00	5000.00	0.00

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)–माध्यमिक शिक्षा	4725.86	2214.00	4017.00	1500.00	1500.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम–माध्यमिक शिक्षा	18509.90	5000.00	17163.00	2500.00	2500.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना – उच्चतर शिक्षा	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021070110 मुख्यमंत्री (इंटरमिडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना– सात निश्चय–2	103117.25	40000.00	131250.00	40000.00	40000.00
21-2202031070110 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना – उच्चतर शिक्षा	16100.00	25000.00	25000.00	20000.00	20000.00
21-2202020040102 हुनर	0.00	100.00	100.00	500.00	500.00
21-2204001010103 मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	448.50	500.00	500.00	1.00	1.00
21-4202012030106 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	200.00	200.00	1.00	1.00
कुल योग	**276076.42**	**114393.09**	**234369.10**	**84277.30**	**79277.30**
मांग संख्या–22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	16.32	50.00	50.00	60.00	60.00
22-2255000030401 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्लूसी)	0.00	0.00	0.00	1359.72	1359.72
कुल योग	**16.32**	**50.00**	**50.00**	**1419.72**	**1419.72**
मांग संख्या–23 उद्योग विभाग					
23-2851001020109 मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना	10245.00	12810.00	12810.00	12810.00	12810.00
23-6851001020103 मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना	9755.00	12190.00	12190.00	12190.00	12190.00
कुल योग	**20000.00**	**25000.00**	**25000.00**	**25000.00**	**25000.00**
मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1334.51	1600.00	1600.00	2200.00	2200.00
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	63.43	100.00	100.00	50.00	50.00
कुल योग	**1397.94**	**1700.00**	**1700.00**	**2250.00**	**2250.00**

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	66.00	200.00	200.00	200.00	200.00
कुल योग	**66.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	93.20	300.00	300.00	200.00	200.00
40-4047007890106 अनु0 जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	337.82	6640.00	6640.00	1500.00	1500.00
40-4047007960101 अनु0 जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का क्रय	4.80	415.00	415.00	200.00	200.00
कुल योग	**435.82**	**7355.00**	**7355.00**	**1900.00**	**1900.00**
मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना– अनु0 जाति	0.00	1.00	1.00	500.00	500.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना– अनु0 जनजाति	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00
42-2216031050106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	400.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना– अनु0 जाति	1200.00	4000.00	4000.00	5000.00	5000.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना– अनु0 जनजाति	400.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) (प्रधानमंत्री आवास योजना)	208679.96	318914.00	336314.00	418814.00	418814.00
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जाति (प्रधानमंत्री आवास योजना)	99542.20	400000.00	400000.00	150000.00	150000.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जनजाति (प्रधानमंत्री आवास योजना)	0.00	50000.00	50000.00	100.00	100.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) (प्रधानमंत्री आवास योजना)	299674.43	43000.00	222532.00	109800.00	109800.00
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जाति (प्रधानमंत्री आवास योजना)	66361.46	50000.00	140601.00	100.00	100.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जनजाति (प्रधानमंत्री आवास योजना)	0.00	7000.00	18501.00	100.00	100.00
42-2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	42348.00	33600.00	33600.00	0.00	0.00
42-2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	17545.00	13920.00	13920.00	0.00	0.00

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	605.00	480.00	480.00	0.00	0.00
42-2216031050108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	100.00	100.00	1000.00	1000.00
42-2216037890106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	200.00	200.00	2500.00	2500.00
42-2216037960105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	100.00	100.00	500.00	500.00
कुल योग	**736756.05**	**924317.00**	**1223351.00**	**691714.00**	**691714.00**
मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	93.28	66.74	108.74	108.43	108.43
43-2203001050001 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	11052.64	14190.10	15811.12	16261.17	16261.17
43-2203001050106 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	92.19	600.00	1000.75	800.00	800.00
कुल योग	**11238.11**	**14856.84**	**16920.61**	**17169.60**	**17169.60**
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	85.80	518.60	518.60	518.60	518.60
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय–गृह	159.25	185.19	185.19	182.20	182.20
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021020116 परवरिश	1400.75	1600.00	1600.00	1500.00	1500.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10	10.00	10.00	18.00	18.00
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	411.31	0.82	2025.78	2257.00	2257.00
51-2235021020226 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	0.01	122.00	15.00	15.00
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	419.99	0.56	1183.65	192.41	192.41
51-2235021020326 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	0.01	9.76	9.76	9.76
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	325.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	3194.56	3000.00	7000.00	7793.25	7793.25
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	2405.00	3700.00	3700.00	4520.00	4520.00

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	1452.00	4400.00	4400.00	10500.00	10500.00
51-2235021030219 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	600.00	600.00	1.00	1.00
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	96.31	2934.29	2988.44	1884.00	1884.00
51-2235021030319 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	300.00	0.01	0.01
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	15484.67	6956.20	16992.30	3256.20	3256.20
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	959.30	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	1820.00	2800.00	2800.00	1500.00	1500.00
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1188.00	3600.00	3600.00	1500.00	1500.00
51-2235027890312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	0.00	0.04	18.79	64.13	64.13
51-2235027890313 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	100.00	0.01	0.01
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	71.90	674.00	674.00	250.00	250.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	348.20	500.00	500.00	70.00	70.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	17000.00	17500.00	17500.00	17960.00	17960.00
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6346.40	3800.00	5550.00	3000.00	3000.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	33.00	100.00	100.00	30.00	30.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6534.50	7500.00	7500.00	5640.00	5640.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1200.00	1200.00	1200.00	1000.00	1000.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	26454.66	13470.00	29378.88	14000.00	14000.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	6000.00	6000.00	6000.00	7000.00	7000.00
51-2235021030230 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	0.00	0.00	1294.94	1294.94
51-2235021030231 मिशन शक्ति (संबल) बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ	0.00	0.00	0.00	790.01	790.01
51-2235021030232 मिशन शक्ति (संबल) महिला हेल्पलाईन	0.00	0.00	0.00	76.63	76.63

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235021030233 मिशन शक्ति (संबल) नारी अदालत	0.00	0.00	0.00	632.14	632.14
51-2235021030234 मिशन शक्ति (समर्थ) शक्ति सदन	0.00	0.00	0.00	1212.49	1212.49
51-2235021030235 मिशन शक्ति (समर्थ) सखी निवास	0.00	0.00	0.00	353.11	353.11
51-2235021030236 मिशन शक्ति (समर्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	0.00	0.00	1565.28	1565.28
51-2235021030237 मिशन शक्ति (समर्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	0.00	0.00	693.12	693.12
51-4235021030201 मिशन शक्ति (संबल)वन स्टॉप सेन्टर	0.00	0.00	0.00	665.28	665.28
51-2235021030330 मिशन शक्ति (समर्थ) शक्ति सदन	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
51-2235021030331 मिशन शक्ति (समर्थ) सखी निवास	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
51-2235021030332 मिशन शक्ति (समर्थ) स्टेट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (एसएचईडब्लू)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
51-2235021030333 मिशन शक्ति (समर्थ) डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्लू)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
कुल योग	**93765.70**	**84049.74**	**119557.39**	**94944.65**	**94944.65**
महा योग	**1247211.96**	**1306964.38**	**1796544.92**	**1058637.09**	**1053637.09**

जेन्डर बजट 2023–24

श्रेणी 'बी'–महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रू. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	88.46	37.00	49.33	196.50	59.00
01-2401000010314 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	59.06	15.00	33.37	130.87	39.00
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	699.45	1747.98	1747.98	5973.60	1792.00
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	441.58	698.79	580.66	3537.00	1061.00
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	3697.94	2988.00	4973.06	10218.00	3065.00
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	134.64	534.11	534.11	880.32	264.00
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	89.77	213.45	213.45	419.04	126.00
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	1788.44	1867.50	1867.50	8724.60	2617.00
01-2401001040205 परम्रागत कृषि विकास योजना	232.57	748.00	1464.92	0.00	0.00
01-2401001040305 परम्रागत कृषि विकास योजना	153.54	299.00	976.94	0.00	0.00
01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	1137.29	2240.99	3150.42	5031.74	1510.00
01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	122.10	1345.68	1345.68	0.00	0.00
01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	153.52	537.03	442.71	0.00	0.00
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	63.21	149.40	261.45	817.44	245.00
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	42.18	59.75	154.70	447.29	134.00
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	373.50	1245.00	5476.76	7860.00	2358.00
01-2401001090106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	4437.08	5478.00	6780.49	33909.61	10173.00
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1664.00	3436.37	3984.20	31264.04	9379.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1341.68	2256.47	2256.47	5659.20	1698.00
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	536.70	1344.60	1344.60	0.00	0.00
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1092.78	1373.00	1659.70	11281.31	3384.00
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	894.17	901.41	995.92	2829.60	849.00
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	357.61	537.03	1301.68	0.00	0.00
01-2401001130105 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	263.35	2466.74	2419.93	10218.00	3065.00
01-2401001130217 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	719.59	1943.76	1943.76	0.00	0.00
01-2401001130317 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	479.09	776.00	776.00	0.00	0.00
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	2747.46	3486.00	3869.81	22024.52	6607.00
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	239.04	1345.00	1345.00	4716.00	1415.00
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	159.38	537.36	434.21	1964.69	589.00
01-2401007890106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	785.53	1055.97	1270.41	8628.40	2589.00
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	707.95	576.00	958.66	2600.00	780.00
01-2401007890120 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	35.48	475.12	466.10	2600.00	780.00
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	72.00	240.00	1055.76	2000.00	600.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	213.65	432.10	607.46	1280.34	384.00
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	529.63	672.00	745.99	5607.89	1682.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	344.76	360.00	360.00	2220.00	666.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	469.95	662.48	768.09	8000.00	2400.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	14.96	29.00	50.75	208.00	62.00
01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	46.08	259.20	259.20	1200.00	360.00
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	257.58	434.88	434.88	1440.00	432.00
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	137.24	337.00	337.00	1520.00	456.00
01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	24.43	259.20	259.20	0.00	0.00
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	102.90	259.20	259.20	0.00	0.00
01-2401007890240 नेशलन ई–गवर्नेंस प्लान–कृषि	16.77	7.25	9.67	50.00	15.00
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	44.77	144.00	282.02	0.00	0.00
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	150.75	374.40	374.40	0.00	0.00
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	25.95	103.00	103.00	224.00	67.00
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	313.36	265.00	320.33	4139.73	1242.00
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	91.70	135.00	112.18	900.00	270.00
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	9.78	12.00	31.07	113.81	34.00
01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	30.59	104.00	84.03	499.92	150.00
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	171.34	174.00	192.25	720.00	216.00
01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	29.33	104.00	85.73	0.00	0.00
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	68.75	104.00	252.09	0.00	0.00
01-2401007890340 नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान–कृषि	10.90	3.00	6.67	33.30	10.00
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	29.72	58.00	189.51	0.00	0.00
01-2401007890345 सब मिशन ऑन एग्रीकल्वर मेक्नाईजेशन	100.73	150.00	150.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	17.23	41.00	41.00	106.62	32.00
01-2401007960134 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	23.25	66.00	76.16	603.99	181.00
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	45.84	36.00	59.92	182.00	55.00
01-2401007960143 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	17.69	30.00	29.43	182.00	55.00
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	4.50	15.00	65.99	140.00	42.00
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	10.26	27.24	38.29	89.62	27.00
01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	33.10	42.00	46.63	392.64	118.00
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	27.34	23.00	46.00	155.40	47.00
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	36.49	41.50	48.12	735.96	221.00
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.92	2.00	3.50	14.56	4.00
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	2.88	16.20	16.20	84.00	25.00
01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1.52	17.28	17.28	0.00	0.00
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	8.27	21.06	21.06	106.40	32.00
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	21.47	27.71	27.71	100.80	30.00
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	8.40	16.20	16.20	0.00	0.00
01-2401007960262 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	1.06	0.50	0.67	3.50	1.00
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना	3.22	10.00	19.58	0.00	0.00
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्वर मेक्नाईजेशन	15.25	24.96	38.40	0.00	0.00
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	1.62	6.44	6.44	15.68	5.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	24.23	17.00	20.55	218.96	66.00
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.70	1.00	2.59	7.97	2.00
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	1.97	6.65	5.37	34.99	10.00
01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1.61	6.00	4.95	0.00	0.00
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	5.52	8.43	7.01	63.00	19.00
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	14.00	11.00	12.15	50.40	15.00
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	5.18	6.00	14.54	0.00	0.00
01-2401007960362 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	0.90	0.23	0.51	2.33	1.00
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	1.98	4.00	13.07	0.00	0.00
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	9.52	9.34	23.98	0.00	0.00
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	1.11	3.00	3.00	7.46	2.00
01-2401001090122 सात निश्चय–2	650.33	2490.00	2490.00	2358.00	707.00
01-2401007890152 सात निश्चय–2	125.36	480.00	480.00	600.00	180.00
01-2401007960174 सात निश्चय–2	12.30	30.00	30.00	42.00	13.00
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	967.15	1245.14	1255.03	4716.00	1415.00
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	381.28	1718.56	2792.00	6227.49	1868.00
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	257.20	687.00	1862.05	1958.49	588.00
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	181.19	240.28	242.18	1200.00	360.00
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	79.98	331.20	538.07	1584.60	475.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	53.44	132.65	359.53	498.34	150.00
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	13.30	15.28	15.47	84.00	25.00
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	19.64	21.16	34.38	110.91	33.00
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	10.00	8.50	23.04	34.88	10.00
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	417.80	376.70	298.75	943.20	283.00
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	43.13	125.00	125.00	0.00	0.00
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	2651.01	3486.00	3486.00	10218.00	3065.00
01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	517.87	672.14	672.14	2600.00	780.00
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	6.45	24.00	24.00	0.00	0.00
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	58.44	72.47	57.47	240.00	72.00
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	45.21	42.14	42.14	182.00	55.00
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	1.48	5.00	3.96	16.80	5.00
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.20	2.00	2.00	0.00	0.00
01-2415012770112 कौशल विकास मिशन	298.80	299.00	0.00	943.20	283.00
01-2415017890108 कौशल विकास मिशन	57.66	58.00	0.00	240.00	72.00
01-2415017960109 कौशल विकास मिशन	3.90	4.00	0.00	16.80	5.00
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	124.55	747.27	535.55	786.00	236.00
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	24.00	144.00	103.20	200.00	60.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	1.82	10.91	7.82	14.00	4.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–01 कृषि विभाग					
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	60.69	127.00	177.39	334.25	100.00
01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	7.80	24.41	34.09	85.05	26.00
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	0.13	2.00	2.79	5.95	2.00
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	3245.13	0.00	0.00	1985.46	596.00
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	625.57	0.00	0.00	501.52	150.00
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	39.10	0.00	0.00	35.02	11.00
01-2401001190225 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	2092.00	302.54	0.00	0.00
01-2401001190325 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00
01-2401007890250 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	403.00	58.28	0.00	0.00
01-2401007890350 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
01-2401001190124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	374.00	245.59	1179.00	354.00
01-2401007890153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	72.00	47.28	300.00	90.00
01-2401007960175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	5.00	3.28	21.00	6.30
01-4401000510103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	0.00	13197.00	12450.00	15720.00	4716.00
01-4401007890105 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	0.00	2544.00	2400.00	4000.00	1200.00
01-4401007960103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड)	0.00	159.00	150.00	280.00	84.00
01-2401000010103 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00	2004.30	601.00
01-2401007890124 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00	510.00	153.00
01-2401007960145 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00	35.70	11.00
कुल योग	**40375.71**	**82399.75**	**96699.73**	**278199.00**	**83458.30**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059010510119 कृषि कार्यालय भवन	0.00	871.50	871.50	0.00	0.00
03-4059017890101 अनु0 जाति के लिए भवन	4389.42	5400.00	6900.00	30000.00	9000.00
03-4059017890102 कृषि कार्यालय भवन	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
03-4059017960104 अनु0 जनजाति के लिए भवन	1934.82	9000.00	9000.00	1500.00	450.00
03-4059017960105 कृषि कार्यालय भवन	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00
03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	142.11	5000.00	5000.00	20000.00	16000.00
03-2059800530101 पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	181.98	360.00	360.00	1200.00	360.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	137.42	60.00	129.00	200.00	60.00
कुल योग	**6785.74**	**20870.00**	**22439.00**	**53100.00**	**25970.00**
मांग सं0–08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग					
08-2204001040001 खेलकूद	239.53	415.98	417.48	1283.86	385.16
08-2205000010001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	44.44	83.05	93.01	248.73	74.62
08-2204001040102 खेलकूद	231.33	936.00	936.00	13650.00	4095.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	156.76	522.00	522.00	3845.00	1153.50
कुल योग	**672.06**	**1957.03**	**1968.49**	**19027.59**	**5708.28**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770001 सथापना एवं प्रतिअद्ध व्यय	12.50	12.50	12.50	25.00	12.50
11-2225032770002 छत्रावासों का संधारण	14.22	25.00	283.83	1058.41	317.52
11-2225031970101 छात्रवृत्ति / वजीफा	5494.71	5500.00	5500.00	10400.00	5200.00
11-2225031980101 छात्रवृत्ति / वजीफा	9404.01	9500.00	9500.00	19900.00	9950.00
11-2225032770101 शिक्षा	107168.67	55000.00	55000.00	119509.00	54974.14
11-2225032770212 अन्य पिछड़ें वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	5.00	5.00	15.00	6.00
11-2225032770214 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	550.00	550.00	3271.05	3766.00	1883.00
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3083.36	13523.00	13523.00	8428.00	3876.88
11-2225032770312 अन्य पिछड़ें वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	2.00	2.00	5.00	2.00
11-2225032770314 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	184.36	550.00	3673.75	3885.00	1942.50
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	66.67	195.00	195.00	5.00	2.00
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	2160.00	2160.00	1170.00	620.50
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	240.00	240.00	570.00	90.06
कुल योग	**125978.49**	**87262.50**	**93366.13**	**168736.41**	**78877.10**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	159.71	175.00	175.00	350.00	175.00
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	828.68	900.00	900.00	1800.00	900.00
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	6588.90	10050.00	10050.00	20100.01	10050.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	3834.19	4150.00	4150.00	8300.00	4150.00
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	2493.00	4150.00	4150.00	8300.00	4150.00
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	765.11	850.00	850.00	1700.00	850.00
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	461.39	850.00	850.00	1700.00	850.00
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	163.75	185.00	185.00	370.00	185.00
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	36.39	40.00	40.00	80.00	40.00
16-2515000010102 जिला पंचायत की स्थापना	0.00	8500.00	8500.00	4471.98	2235.99
कुल योग	**15331.10**	**29850.00**	**29850.00**	**47171.99**	**23585.99**
मांग सं0–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	224.01	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास अनुसूचित जाति	524.74	432.00	432.00	0.00	0.00
19-2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (जनजातिय क्षेत्र उपयोजना)	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
19-2406018000101 नहर तट फार्म	331.96	0.00	0.00	0.01	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406017890102 नहर तट फर्म (अनु0 जा0)	81.05	234.00	234.00	0.00	0.00
19-2406018000105 पथ तट फार्म	802.15	0.00	0.00	0.01	0.00
19-2406017890103 पथ तट फर्म (अनु0 जा0)	358.67	255.90	255.90	0.00	0.00
19-2406011010111 जल–जीवन–हरियाली	2262.05	2880.00	2880.00	10000.00	3600.00
19-4406010700102 भवन	2128.70	1050.00	1050.00	3500.00	1050.00
19-4406010700101 सड़क और पुल	78.80	150.00	150.00	500.00	150.00
19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	69.92	210.00	210.00	500.00	150.00
19-2406021100324 बाघ परियोजना	146.24	229.79	229.79	304.30	115.63
19-2406021100326 गज परियोजना	4.47	23.95	23.95	66.80	25.38
19-2406021100323 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	5.78	177.54	177.54	744.00	223.20
19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तत्र संरक्षण योजना	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00
19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	22.75	59.99	60.00	407.90	122.37
19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00
19-2406047890301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
19-2406047960301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	51.72	51.72	0.00	0.00
19-2406021100224 बाघ परियोजना	157.16	665.38	665.38	913.00	346.94
19-2406021100226 गज परियोजना	6.71	196.31	196.31	199.00	75.62
19-2406021100223 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	8.67	392.81	392.81	2233.00	669.90
19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तत्र संरक्षण योजना	0.00	148.78	148.78	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	36.18	216.53	216.53	1224.00	367.20
19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	142.18	142.18	0.00	0.00
19-2406047890201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	137.70	137.70	0.00	0.00
19-2406047960201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	133.20	133.20	0.00	0.00
19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	203.45	203.45	0.00	0.00
कुल योग	**7409.93**	**8028.59**	**8028.60**	**20592.03**	**6896.24**
मांग सं0–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2317.51	4578.68	4578.68	8359.22	3343.69
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	179.10	763.55	763.55	2506.95	1002.78
20-2210012000209 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13847.00	22000.00	22000.00	83476.00	33390.40
20-2210012000309 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	14025.60	4800.00	15066.80	5000.00	2000.00
20-2210017890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12040.00	18040.00	18040.00	54000.00	21600.00
20-2210017890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7120.00	1320.00	12026.80	3300.00	1320.00
20-2210017960219 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	880.00	880.00	3200.00	1280.00
20-2210017960319 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	400.00	200.00	586.80	500.00	200.00
20-2210031100203 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	24107.20	48000.00	48000.00	118800.00	47520.00
20-2210031100303 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22000.00	8000.00	32000.00	6105.02	2442.01
20-2210037890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	9642.80	13909.60	13909.60	40074.00	16029.60
20-2210037890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	10258.10	2000.00	9273.20	5000.00	2000.00
20-2210037960202 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	1200.00	1200.00	4200.00	1680.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210037960302 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1280.00	520.00	800.00	1300.00	520.00
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1178.96	4839.60	4839.60	10000.00	4000.00
20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	518.44	2000.00	2000.00	5000.00	2000.00
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	140.39	400.00	400.00	1000.00	400.00
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	120.00	120.00	290.00	116.00
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00
20-4210031050119 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	652.60	2000.00	4400.00	1000.00	400.00
कुल योग	**119707.70**	**135611.43**	**190925.03**	**353211.19**	**141284.48**
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1919.04	2001.52	2001.52	6547.88	2474.44
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1843.01	2754.31	2754.31	9010.59	3405.10
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2595.42	3851.18	3851.18	12598.96	4761.15
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	73205.91	86481.87	86481.87	282921.77	106916.14
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1142.00	1405.43	1405.43	4597.78	1737.50
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4991.95	6575.03	6575.03	16892.57	5067.77
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4726.60	7234.76	7234.76	18469.93	5540.98
21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3764.32	6388.27	6388.27	14898.49	4469.55
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	44201.74	68046.27	67855.53	178262.69	53942.29
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	7695.41	9802.35	9802.35	32674.51	11472.02
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	17430.73	16626.78	16289.41	55422.60	19397.91

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	8608.36	18682.95	18682.95	62276.50	21796.78
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	7894.31	8870.18	8870.18	30567.26	11059.23
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	6763.10	8689.20	8689.20	28964.00	10137.40
21-2202031020008 बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	7930.49	8489.94	8489.94	31799.80	12506.86
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	7860.56	11617.77	11617.77	38725.90	13554.07
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	17686.19	18639.41	18639.41	62131.38	21745.98
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	3192.22	3580.41	3580.41	14934.70	5227.15
21-2202031020016 मौलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	84.85	112.35	112.35	900.01	757.00
21-2202031020017 राष्ट्रीय चाणक्या विधि विश्वविद्यालय	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	10155.54	13428.34	13428.34	51761.13	20947.73
21-2202031020025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	2587.49	2707.50	2707.50	10525.00	4296.31
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	2163.05	2583.54	2583.54	8811.80	3084.13
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	281.88	573.14	581.02	1043.90	365.37
21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1232.95	2362.15	2358.43	8760.91	3066.91
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	71.77	197.76	197.76	533.36	186.68
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	590.13	1021.36	1014.10	3030.98	1061.84
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	30.00	30.00	5100.00	1785.00
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	107.55	150.00	150.00	1000.00	350.00
21-2202010010106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	55.02	30.00	30.00	700.00	245.00
21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	150.00	300.00	357.90	1500.00	780.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजि विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली	2131.95	5184.00	9684.00	10000.00	3000.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	1002.94	1215.00	1215.00	4050.00	1417.50
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	3.00	3.00	2000.00	600.00
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	5485.19	5250.00	5250.00	15000.00	4500.00
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	82237.21	215020.08	215020.08	685879.00	252815.00
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	54824.78	42103.05	71752.56	223338.00	138648.23
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	223686.35	149868.84	4600.82	355105.00	106531.50
21-2202011120203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	20675.52	59250.00	59250.00	200200.00	71030.96
21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	12310.33	14220.00	33728.40	68299.00	34443.19
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.00	285.00	285.00	950.00	332.50
21-2202017890203 सर्व शिक्षा अभियान	20473.88	68176.02	68176.02	184816.00	55444.80
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना	5210.40	13500.00	13500.00	45000.00	15750.00
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	2804.94	3240.00	3240.00	14658.00	6962.55
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	13649.25	9593.10	18751.59	67388.00	52279.61
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना	482.55	2250.00	2250.00	4800.00	1440.00
21-2202017960211 समग्र शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	2160.00	1474.44	1474.44	8743.00	5766.88
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान	1339.08	1598.85	1598.85	9650.00	6727.02
21-2202017960310 मध्यान भोजन योजना	467.62	540.00	540.00	2443.00	1160.43

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	165.00	165.00	3500.00	1050.00
21-2202020040102 हुनर	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	0.00	30.00	30.00	100.00	35.00
21-2202021090105 आई0सी0टी0 परियोजना	0.00	300.00	300.00	1.00	0.35
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	0.00	30.00	360.00	1200.00	420.00
21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	1528.90	20856.00	20835.54	56668.00	17782.42
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	1019.30	2607.00	8784.35	7965.00	2810.85
21-2202021090312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	4337.10	33.00	33.00	1.00	0.35
21-2202027890207 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	272.93	4320.00	4320.00	8745.00	3060.75
21-2202027890307 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	181.96	594.00	1398.71	1818.00	636.30
21-2202027960209 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	31.16	792.00	792.00	1458.00	510.30
21-2202027960309 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	20.77	99.00	155.51	718.00	251.30
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	2292.88	4800.30	9279.30	14500.00	5075.00
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	49.50	90.00	90.00	500.00	175.00
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	0.00	60.00	60.00	500.00	437.50
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	30.00	30.00	150.00	78.75
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	129.00	1896.00	1896.00	1800.00	540.00
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	120.00	74.40	74.40	250.00	88.20
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	910.78	0.00	0.00	5016.00	1755.60
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	10.77	237.00	237.00	300.00	105.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	87.41	118.50	118.50	183.00	64.05
21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	10150.60	9000.00	14410.80	22848.00	7996.80
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	247.10	150.00	240.00	801.00	280.35
21-2202800040106 ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	49.50	90.00	90.00	300.00	105.00
21-2202021070108 मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	0.00	3000.00	5929.50	5000.00	1750.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	149.97	30.00	30.00	300.00	105.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	5.54	0.30	6.03	50.00	17.50
21-2204001040108 बिहार सब जूनियर स्पोर्टस्स मीट तंरग कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	1000.00	350.00
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	11982.44	5100.00	11103.00	17401.00	6090.35
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	198.00	300.00	300.00	1000.00	350.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	193.53	4740.00	4740.00	1520.00	532.00
21-2202011120104 मध्यान भोजन योजना	7307.20	9000.00	15180.00	30000.00	10500.00
21-2202021030101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	49.50	60.00	360.00	500.00	437.50
21-2202031020119 नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	0.00	60.00	0.30	1.00	0.35
21-2202031020127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय	195.00	0.30	60.00	700.00	245.00
21-2202037890301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	432.00	432.00	100.00	30.00
21-2202037960301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	72.00	72.00	100.00	30.00
21-2202047890202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	0.00	0.00	75.00	26.25
21-2202047890203 अध्यापक शिक्षा संस्थान	2.51	54.00	54.00	35.00	12.25

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–21 शिक्षा विभाग					
21-2202047960204 अध्यापक शिक्षा संस्थान	0.25	9.00	9.00	20.00	7.00
21-2202047960203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	0.00	0.00	55.00	19.25
21-2202042000204 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202042000304 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर भारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202047890302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	0.00	0.00	25.00	8.75
21-2202047890301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	1.67	27.00	27.00	60.00	35.00
21-2202047960301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.17	4.50	4.50	40.00	14.00
21-2202047960302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	0.00	0.00	15.00	5.25
21-2202037890201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	1080.00	1080.00	700.00	245.00
21-2202037960201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	180.00	180.00	300.00	105.00
21-2202011910002 नगर निगम नियोजित प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	156.48	54.77
21-2202011920002 नगर निगम नियोजित प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	240.00	84.00
21-2202011930002 नगर निगम नियोजित प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	214.08	74.93
21-2202011970003 ब्लॉक, पंचायत मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को समेकित भुगतान	0.00	0.00	0.00	7457.28	2610.05
कुल योग	**731399.00**	**976616.45**	**926347.66**	**3094570.24**	**1177986.53**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00
23-2851001030113 शिल्प अनुशंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	0.00	0.00	0.00	600.00	180.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	0.00	0.00	0.00	795.00	238.50
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	0.00	210.00	210.00	200.00	60.00
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेकनॉलाजी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00
23-2852801020160 प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	0.00	0.00	0.00	37509.00	11252.70
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	0.00	0.00	305.00	91.50
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	3142.50	3226.80	3826.80	1680.00	504.00
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	71.48	0.00	0.00	400.00	120.00
23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	2925.00	3799.50	4699.50	12665.00	3799.50
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	183.00	237.30	237.30	1025.00	307.50
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	2992.50	3073.20	3673.20	1600.00	480.00
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	2787.00	3616.50	4516.50	12055.00	3616.50
23-6851007960107 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	174.00	226.20	226.20	975.00	292.50
कुल योग	**12275.48**	**14389.50**	**17389.50**	**70809.00**	**21242.70**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230021010214 नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
26-2230021010314 नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
26-2230030030129 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230030030233 कौशल विकास मिशन	24.92	274.50	274.50	1120.50	336.15
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	182.23	324.00	324.00	964.00	289.20
26-2230037890101 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960121 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960122 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2	163.19	163.19	163.19	225.00	67.50
26-2230037890102 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2	3007.73	3007.73	3007.73	6952.26	2085.68
26-2230030030130 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2	3879.09	3579.09	3579.09	15275.00	4582.50
26-2230031010103 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.00	8500.00	2550.00
26-2230030030105 पूर्व स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	175.00	52.50
26-2230037890302 कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	160.00	48.00
26-2230037960302 कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00
26-2230037890204 कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	216.00	64.80
26-2230037960204 कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	13.50	4.05
26-2230020030101 नियोजन–सह–व्यवसायिक मेला	0.00	0.00	0.00	45.00	13.50
26-2230021010101 नियोजन सेवा का विस्तार	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00
कुल योग	**7257.15**	**7588.51**	**7588.51**	**33686.26**	**10105.88**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	6112.02	7000.00	7000.00	12000.00	8640.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	2.80	30.00	30.00	100.00	30.00
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोंचिग की व्यवस्था	86.24	150.00	150.00	500.00	150.00
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	144.50	900.00	900.00	3000.00	900.00
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	90.00	90.00	300.00	90.00
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	149.84	3600.00	3600.00	12000.00	3600.00
30-4250000510307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	437.24	600.00	600.00	2000.00	600.00
30-4250000510308 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विकास राज्यांश	65.90	300.00	300.00	1500.00	450.00
30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	2106.00	3000.00	3000.00	10000.00	6000.00
कुल योग	**9104.54**	**15670.00**	**15670.00**	**41400.00**	**20460.00**
मांग सं0–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	675.98	1038.09	1038.09	5460.00	1638.00
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	136.76	211.68	211.68	1040.00	312.00
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	11.11	13.23	13.23	0.00	0.00
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	34.34	15.00	15.00	50.00	15.00
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स कूप, नलकूप द्वारा)	381.93	622.50	622.50	4200.00	1260.00
36-4215011020116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	46899.62	15650.91	15650.91	59778.28	17933.48
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.73	9960.00	9960.00	33600.00	10080.00
36-4215011020231 ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आर0डब्लू0एस0एस0–एल0आई0एस0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5006.05	4980.00	4980.00	11199.72	3359.92
36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	99.00	120.00	120.00	800.00	240.00
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	7270.07	5824.92	5824.92	19988.72	5996.62
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	80.91	1920.00	1920.00	6400.00	1920.00
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	965.00	960.00	960.00	2133.28	639.98
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	8.43	7.50	7.50	0.00	0.00
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	457.30	364.17	364.17	0.00	0.00
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	110.19	19.50	19.50	0.00	0.00
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	39.84	60.00	60.00	0.00	0.00
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	19.33	45.00	45.00	500.00	150.00
36-4215011020134 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण	0.00	150.00	150.00	500.00	150.00
36-2215011020107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव	9130.44	13350.00	13350.00	39500.00	11850.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215011020133 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना	0.00	1618.50	1618.50	4200.00	1260.00
36-4215017890115 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	0.00	312.00	312.00	800.00	240.00
36-4059010510128 सरकारी कार्यालय का निर्माण	0.00	450.00	445.76	2500.00	750.00
36-4216010510103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण	0.00	300.00	300.00	1000.00	300.00
36-4215011020125 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	300.00	300.00	1000.00	300.00
36-2215020030102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण–सह–शोध कार्य के संचालन एवं अन्य कार्य हेतु अनुदान	0.00	15.00	15.00	100.00	30.00
36-4215011020124 अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	0.00	1.50	1.50	15.00	4.50
कुल योग	**71327.02**	**58429.50**	**58425.26**	**194765.00**	**58429.50**
मांग सं0–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	2256.00	2256.00	0.00	0.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	30336.00	30336.00	117156.00	56234.88
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2880.00	5688.00	5688.00	19500.00	9360.00
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0सी0	1376.66	7680.00	7680.00	30040.00	14419.20
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0सी0	917.77	1440.00	1440.00	5000.00	2400.00
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0टी0	86.03	384.00	384.00	3004.00	1441.92
42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0टी0	57.35	72.00	72.00	500.00	240.00
42-2501061010204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	4183.20	4183.20	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501061010304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	522.90	4524.33	0.00	0.00
42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	209.16	209.16	1000.00	830.00
42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	34.86	34.86	400.00	332.00
42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	34.86	34.86	4620.00	3834.60
42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	34.86	34.86	660.00	547.80
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	50319.80	54555.90	54555.90	59219.00	49151.77
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	33368.32	0.00	0.00	14655.00	12163.65
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	42215.59	44164.30	44164.30	60846.00	50502.18
42-2501067890203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी1	0.00	3386.40	3386.40	0.00	0.00
42-2501067890303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी2	0.00	423.30	423.30	0.00	0.00
42-2501067890204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी3	0.00	169.32	169.32	0.00	0.00
42-2501067890304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी4	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00
42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी5	0.00	28.22	28.22	2170.00	1801.10
42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी6	0.00	28.22	28.22	310.00	257.30

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	28040.38	7280.76	23410.78	15057.00	12497.31
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	29353.47	31174.80	31174.80	27835.00	23103.05
42-2501067960203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी1	0.00	2390.40	2390.40	0.00	0.00
42-2501067960303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी2	0.00	298.80	298.80	0.00	0.00
42-2501067960204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी3	0.00	119.52	119.52	0.00	0.00
42-2501067960304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी4	0.00	19.92	19.92	0.00	0.00
42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी5	0.00	19.92	19.92	210.00	174.30
42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी6	0.00	19.92	19.92	29.00	24.07
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	19494.12	5139.36	10723.86	6888.00	5717.04
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	134297.35	110000.00	110000.00	338200.00	169100.00
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	41674.54	15000.00	26250.00	45000.00	22500.00
42-2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0सी0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2505027890301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0सी0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0टी0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2505027960301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0टी0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-2515001020119 सतत् जीविकोपार्जन योजना	11620.00	8300.00	8300.00	25000.00	20750.00
42-2515001020516 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-4515001020502 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**395701.38**	**335423.60**	**372389.55**	**777299.00**	**457382.17**
मांग सं0–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30
44-2225011970001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	2.60	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	13.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	453.95	272.78	422.79	1546.72	464.02
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	4356.02	5655.28	4683.43	15905.60	5566.96
44-2225012770007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	23.40	40.00	40.00	0.00	0.00
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	1.28	3.00	3.00	10.00	3.00
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.03	0.03	0.10	0.03
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	427.05	455.00	455.00	1300.00	455.00
44-2225012770012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	45.57	86.00	86.00	263.07	79.11
44-2225022770001 छात्रवृत्तियां/वृत्तियां	10.18	11.70	11.70	39.00	11.70
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	0.00	0.00	0.00	204.93	0.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ट निवारण केन्द्रों का संधारण	48.23	56.26	56.26	200.25	60.08
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	0.00	0.00	0.00	3161.59	0.00
44-2070000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225010010101 निदेशन और प्रशासन	18.14	30.00	30.00	100.00	30.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	8575.50	9150.00	9150.00	31731.00	9519.30
44-2225011020316 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-2225011970101 छात्रवृत्ति / वजीफा	3474.40	2356.00	2356.00	7105.00	2842.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति / वजीफा	8511.20	5772.00	5772.00	17427.00	6970.80
44-2225012770101 शिक्षा	317.10	570.00	630.00	2331.00	699.30
44-2225012770107 शिक्षा	14468.50	12540.00	17971.51	38668.00	19334.00
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1434.90	1800.00	3491.10	6000.00	1800.00
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1144.51	1200.00	1200.00	5000.00	1500.00
44-2225012770222 अनु0 जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	280.65	2400.00	3782.95	6000.00	2400.00
44-2225012770319 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	956.60	1200.00	2327.40	3000.00	900.00
44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	1349.60	1200.00	1200.00	4000.00	1200.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225017930401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	325.40	3000.00	3000.00	0.00	0.00
44-2225021020105 अनु0 जनजाति विकास हेतु	300.00	300.00	300.00	800.00	240.00
44-2225021020201 अनु0 जनजातियों का बहुमुखी विकास –संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	192.62	450.00	450.00	2100.00	630.00
44-2225021020202 अनु0 जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	174.97	450.00	450.00	1500.00	450.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	322.40	372.00	372.00	678.00	271.20
44-2225021980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	989.19	1140.00	1140.00	2073.00	829.20
44-2225022770101 शिक्षा	2350.49	3135.00	4646.84	5328.00	2014.00
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	85.97	120.00	120.00	500.00	150.00
44-2225022770214 अनु0 जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए	0.00	3.00	3.00	10.00	3.00
44-2225022770216 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	330.00	400.00	888.93	1000.00	400.00
44-2225027960125 थरूहठ क्षेत्र विकास	0.00	1024.80	1024.80	2761.00	828.30
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	65.18	120.00	120.00	400.00	120.00
44-2225027960427 वनबन्धु कल्याण योजना	0.00	3.00	3.00	10.00	3.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	1200.00	1200.00	1.00	0.30
44-2225010010102 आवासीय विद्यालायों की स्थापना	0.00	20.70	18.00	130.00	39.00
44-2225012770324 प्री–मैट्रिक छात्रवृति	0.00	1200.00	1066.80	2205.00	882.00
44-2225022770316 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	0.00	160.00	272.98	200.00	80.00
44-2225022770217 प्री–मैट्रिक छात्रवृति	0.00	362.00	479.48	905.00	362.00
44-2225022770315 प्री–मैट्रिक छात्रवृति	0.00	160.00	199.60	300.00	120.00
कुल योग	**51048.58**	**58536.85**	**69542.90**	**165065.26**	**61315.60**

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	2441.14	7500.00	8500.00	24500.00	12250.00
कुल योग	**2441.14**	**7500.00**	**8500.00**	**24500.00**	**12250.00**
मांग सं0–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	525.00	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2215011920101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	263.66	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2215011930101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	365.23	0.00	0.00	0.01	0.00
48-2215017890101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	94.49	600.00	600.00	6500.00	1950.00
48-2215017890102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	15.00	15.00	500.00	150.00
48-2215017890103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	286.50	1200.00	1200.00	500.00	150.00
48-2215017960102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	77.10	240.00	240.00	0.01	0.00
48-2215017960103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	180.00	180.00	0.01	0.00
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	3320.05	118.50	118.50	200.00	60.00
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	469.14	150.00	150.00	200.00	60.00
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	483.38	150.00	150.00	200.00	60.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	1168.50	7831.50	7831.50	18500.00	5550.00
48-2215011910106 जल –जीवन– हरियाली अभियान	0.00	225.00	225.00	700.00	210.00
48-2215011920103 जल –जीवन– हरियाली अभियान	10.87	262.50	262.50	700.00	210.00
48-2215011930102 जल –जीवन– हरियाली अभियान	63.44	262.50	262.50	700.00	210.00
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	1666.14	1800.00	1800.00	3000.00	900.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	150.38	450.00	450.00	1000.00	300.00
48-2217031920105 नागरिक सुविधा	158.80	375.00	375.00	1000.00	300.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	254.43	375.00	375.00	1000.00	300.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	674.00	690.00	690.00	2000.00	600.00
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	599.77	600.00	600.00	500.00	150.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	428.10	510.00	510.00	500.00	150.00
48-2217011910115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	697.50	150.00	150.00	0.01	0.00
48-2217031930103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2646.04	21.00	21.00	0.01	0.00
48-2217017890102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	159.77	300.00	300.00	1499.98	449.99
48-2217037890102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1278.39	1350.00	1350.00	4500.00	1350.00
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	8160.00	12600.00	12600.00	18000.00	5400.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	6000.00	6000.00	6000.00	10000.00	3000.00
48-2217800010501 बिहार नगरीय विकास परियोजना	5295.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	31727.55	4500.00	15000.00	10000.00	3000.00
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	10.50	10.50	25.14	7.54
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	1440.00	1440.00	4300.00	1290.00
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	420.00	420.00	1400.00	420.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	82.50	82.50	200.00	60.00
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00
48-2217030510201 स्वच्छ भारत अभियान	0.00	5703.00	5703.00	48198.00	14459.40

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1749.85	5910.00	5910.00	19700.00	5910.00
48-2217030510301 स्वच्छ भारत अभियान	0.00	3000.00	3000.00	10000.00	3000.00
48-2217030510202 अमरूत	12.14	14400.00	14400.00	52400.00	15720.00
48-2217030510302 अमरूत	8687.61	1680.00	1680.00	7999.97	2399.99
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1483.46	2340.00	2340.00	7500.00	2250.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	33.78	140.00	140.00	298.02	149.01
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	24.72	342.50	342.50	648.90	324.45
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	13.62	250.00	250.00	468.96	234.48
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	360.54	4320.00	4320.00	5000.00	1500.00
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	389.16	870.00	870.00	2900.00	870.00
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	3.60	247.50	247.50	800.00	240.00
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	52.99	60.00	60.00	99.97	29.99
48-3475001080202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	1237.50	1237.50	4125.00	1237.50
48-3475001080302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	414.60	414.60	0.01	0.00
48-3475007890202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	960.00	960.00	3200.00	960.00
48-3475007890302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	110.23	140.40	140.40	0.01	0.00
48-3475007960202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	11.80	52.50	52.50	175.00	52.50
48-3475007960302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	45.00	45.00	45.00	0.01	0.00
48-2217010510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	240.00	240.00	800.00	240.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217030510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	810.00	810.00	2700.00	810.00
48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	1500.00	1500.00	0.01	0.00
48-2217037960101 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	279.00	279.00	999.98	299.99
48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	2850.00	2850.00	11999.99	3599.99
48-2217037960101 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00	999.98	299.99
48-2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन (पटना)	0.00	0.00	0.00	18000.00	5400.00
48-2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन (पटना)	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
48-2217030510206 स्मार्ट सिटी मिशन (भागलपुर)	0.00	0.00	0.00	18000.00	5400.00
48-2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन (भागलपुर)	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
48-2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन (बिहारशरीफ)	0.00	0.00	0.00	18000.00	5400.00
48-2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन (बिहारशरीफ)	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
48-2217011910106 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	0.00	0.00	25.14	12.57
कुल योग	**80001.73**	**101231.00**	**111731.00**	**342739.00**	**106117.43**
मांग सं0–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	702.00	450.00	2340.00	10900.00	3270.00
51-2235021010106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	76.76	99.00	99.00	330.00	99.00
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	180.00	0.00	0.00	3700.00	1110.00
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	92.03	121.62	162.16	400.00	164.00
51-2235021020117 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	5247.91	4246.22	6211.78	4973.80	4228.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	57981.99	69654.82	78562.13	83303.06	70808.00
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	716.48	3230.00	3230.00	5013.00	4261.05
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	8645.98	16146.44	16497.69	15290.00	12997.00
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	46845.01	20059.23	52423.90	20936.22	17796.00
51-2235021020323 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	552.77	2799.98	2799.98	3200.00	2986.56
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	1939.94	2146.61	5700.53	2893.24	2459.00
51-2235021020327 आंगनबाड़ी सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	22461.95	18116.54	37065.53	0.00	0.00
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	711.22	750.00	750.00	2500.00	1000.00
51-2235021040107 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	96.00	120.00	120.00	600.00	180.00
51-2235021040504 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	366.23	520.50	520.50	1450.00	435.00
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	45.44	101.00	101.00	387.73	117.44
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	333.53	384.70	384.70	1000.00	390.00
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	191.40	191.40	382.80	500.00	385.00
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	4.50	4.50	15.00	450.00
51-2235027890103 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	2069.40	1415.41	2004.97	4324.60	3676.00
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	63.48	192.35	192.35	500.00	195.00
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	90.00	975.00	596.25	400.00	180.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	23752.01	14418.15	14418.15	9000.00	4590.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	13.36	40.47	40.47	40.00	16.00
51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	37168.05	43001.50	43001.50	66834.00	33811.32
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1416.45	1602.61	1644.19	3472.00	1405.12
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	21908.42	13861.66	43740.00	21000.00	10623.90
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	463.18	283.29	283.29	700.00	283.29
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	2875.50	69.1.20	6901.20	7200.00	6901.20
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4802.00	5261.36	5261.36	4000.00	2040.00
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	6.68	20.24	20.24	10.00	4.00
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	10684.48	22532.79	22532.79	36250.00	18338.88
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	476.68	809.40	809.40	1228.00	496.97
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5362.54	5362.54	5362.54	11000.00	5564.90
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	161.88	161.88	161.88	400.00	161.88
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2681.27	2681.27	2681.27	2916.00	1475.20
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	505.90	505.90	505.90	3000.00	1517.70
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	11417.99	5856.50	12768.02	15500.00	5425.00
51-2235607890103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2411.50	2411.50	2411.50	9000.00	3150.00
51-2236021010203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	38597.43	56153.91	50653.91	98988.57	84140.00
51-2236021010303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	46620.86	0.00	0.00	0.01	0.00
51-2236027890204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	6760.01	18717.97	18717.97	40507.35	34431.00
51-2236027890304 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	26613.00	30672.11	30672.11	49413.91	42002.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2021–22 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2022–23 (जेंडर बजट अनुमान)	2022–23 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2023–24 (बजट अनुमान)	2023–24 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2236027960305 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	4053.88	4075.50	4075.50	9834.00	8359.00
51-4235021020208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	39.33	570.00	6447.77	0.02	0.00
51-4235021020308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	27.60	0.00	0.00	0.02	0.00
51-2235022000201 नेशनल एक्शन पलान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	18.18	300.00	300.00	300.00	90.00
51-2235021040201 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	0.00	300.00	300.00	500.00	150.00
51-2235021020105 एम0आई0एस0	572.56	660.00	660.00	2450.00	735.00
51-2235021040109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	40272.25	35620.20	92558.55	74725.00	40351.50
51-2235027890114 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	4624.80	7016.10	8635.20	24232.00	13085.28
51-2235027960125 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	600.00	1079.40	1079.40	4000.00	2160.00
51-2235021040110 बिहार सामाजिक संरक्षण योजना	1200.00	1650.00	1650.00	5500.00	1650.00
51-2235022000106 प्रदश्रनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	4.50	4.50	15.00	4.50
51-2235021010111 पदाधिकारियों का परीक्षीण	0.03	3.00	3.00	18.00	5.40
51-2235021020121 बाल सहायता योजना	15.00	15.00	15.00	15.00	7.35
कुल योग	**445532.32**	**417374.07**	**588466.38**	**664665.53**	**450163.44**
महायोग	**2122349.08**	**2358738.79**	**2619327.74**	**6349537.50**	**2741233.64**

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com